वर्ष-10, अंक-10, पृष्ठ-52, अक्टूबर-2025, मूल्य-25 रुपए

ग्रामीण उपभोक्ता

जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता

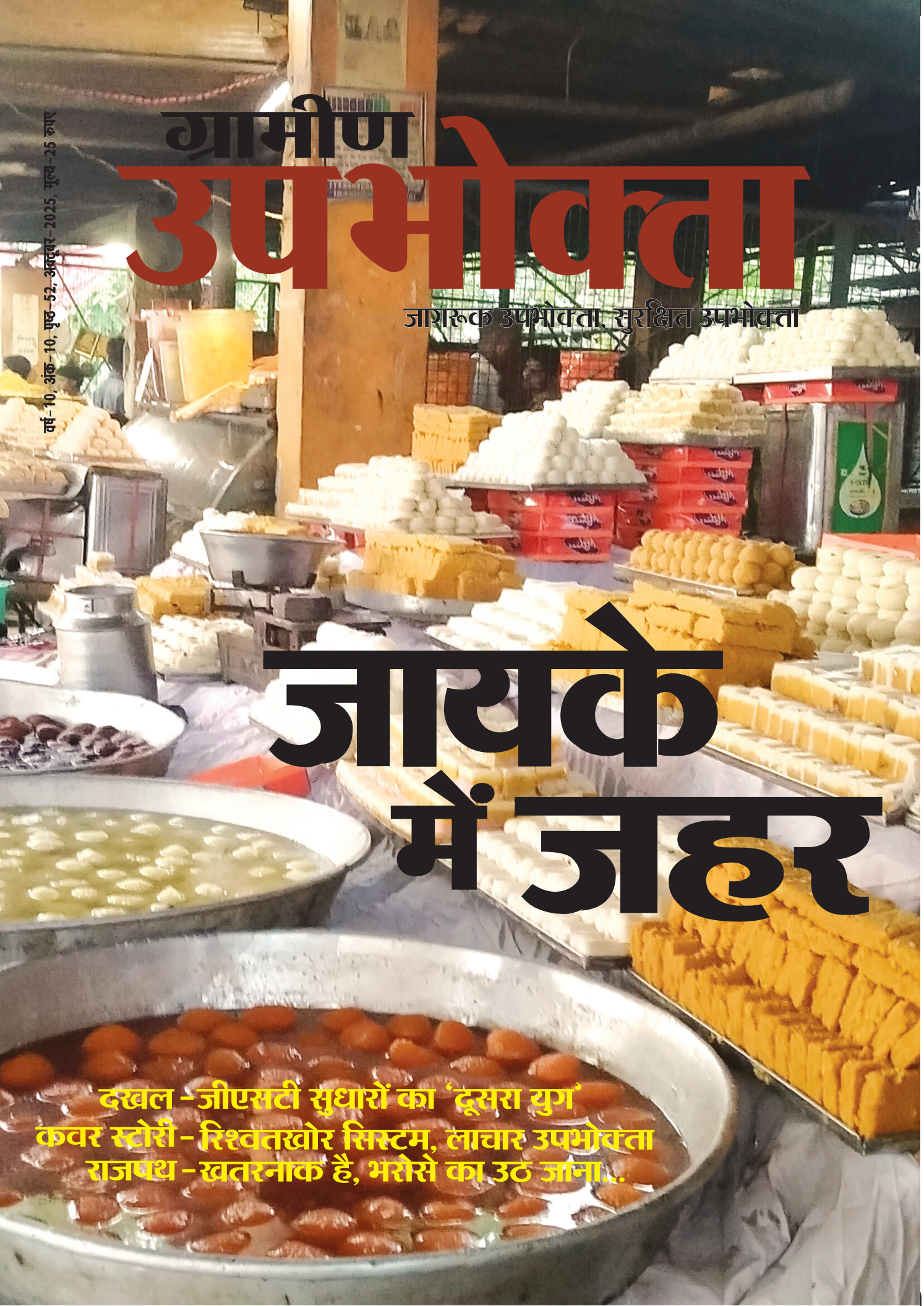

जायके में जहर

दखल - जीएसटी सुधारों का 'दूसरा युग'

कवर स्टोरी - रिश्वतखोर सिस्टम, लाचार उपभोक्ता

राजपथ - खतरनाक है, भरोसे का उठ जाना...

NCUI हाट

coop

PROSPERITY THROUGH COOPERATION

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

विषयवस्तु

संपादकीय निदेशक
आशीष मिश्र
संपादक
बिनोद आशीष
समाचार संपादक
आरती झा
सहायक संपादक
अजय कुमार खुशबू
कॉपी डेस्क
सत्यम
विधिक सलाहकार
डी.के. दुबे

प्रशासनिक कार्यालय

101, शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संपर्क सूत्र

मो. नं.: +91-9899066717
graminupbhokta@gmail.com

प्रिंट लाइन

मुद्रक एवं प्रकाशक: प्रतिध्वनि मीडिया प्रा. लि. के लिए बिनोद आशीष द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित तथा पुरुराज प्रिंट एवं पैकेजिंग प्रा. लि. एल-19 सेक्टर-6 नोएडा (यूपी) 201301 से मुद्रित एवं ई-3 मिलाप नगर, नई दिल्ली-110058 से प्रकाशित

06

जीएसटी सुधारों का 'दूसरा युग'

एक डॉक्टर की 'मुहिम' ने खड़े किए मरीज...
09

17

मिलावट के खिलाफ दुनिया, कहीं सख्त सजा तो कहीं भारी अर्थदंड

फलों व सब्जियों के इस 'रासायनिक' बाजार से हो जाएं सावधान
32

23

ब्रांडेड नहीं, जेनेरिक दवाएं खरीदें

42

गृहणी के घरेलू कामों को भी आर्थिक पैमाने पर देखने की जरूरत : दहाईकोर्ट

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता
JAGO GRAHAK JAGO
जागरूक उपभोक्ता
सुरक्षित उपभोक्ता
उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल

आप हासिल कर सकते हैं

हां, मैं ग्रामीण उपभोक्ता का ग्राहक बनना चाहता हूं / चाहती हूं

टिक करें	अवधि	कुल अंक	मूल्य (रु.)	आपको देना है(रु.)
☐	1 वर्ष	12	25	300
☐	3 वर्ष	36	25	900
☐	5 वर्ष	60	25	1500
☐	आजीवन (10 वर्ष)	120	25	3000

अपनी पसंद के ऑफर पर निशान लगाएं और ग्राहकी फॉर्म भरकर इस पते पर भेजें: 101 शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058

चेक / डीडी से भुगतान

मैं ग्रामीण उपभोक्ता के पक्ष में भेज रहा हूं.................दिनांक.................आहरित बैंक (बैंक का नाम) ....

चेक / डीडी नंबर................. दिल्ली से बाहर के चेक के लिए 50 रुपए अतिरिक्त दें। एट पार चेक के लिए लागू नहीं

नाम ....पता.................................

शहर................. राज्य.................पिन.................फोन नंबर (निवास) ....

मोबाइल नंबर.................................ई मेल.................................

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।

ई-मेल : graminupbhokta@gmail.com

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता
JAGO GRAHAK JAGO
जागरूक उपभोक्ता
सुरक्षित उपभोक्ता
उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल

नाम.................................पता.................................

शहर.................राज्य.................पिन.................फोन नंबर (निवास).................

मोबाइल फोन.................................ई मेल.................................

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।

ई-मेल : graminupbhokta@gmail.com

सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज की सोच का भी है

आमतौर पर खाने -पीने के सामानों में जिस तरह की मिलावट पाई गई उनमें दूध में पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, स्टार्च, तेल में, अरंडी या पाम ऑयल की मिलावट और मसालों में, ईंट के पाउडर, रंग, धूल-मिट्टी की मिलावट की गई है। इसके अलावा, फल-सब्ज़ियों में आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बाइड से पकाने एवं मिठाई व पेय पदार्थों में सिंथेटिक रंग एवं सैक्रीन जैसे सेहत के लिए हानिकारक चीजों पाईं गईं। अब उन कारणों का जिक्र करते हैं जिनकी वजह से मिलावट की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है।

FEEDBACK
misraashish02@gmail.com
M.N. -9899152489

भारत में खाद्य सुरक्षा आज एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। दूध, मसाले, तेल, मिठाइयां, फल-सब्ज़ियां और पैकेज्ड सामान तक, लगभग हर क्षेत्र में मिलावट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह समस्या केवल उपभोक्ताओं को धोखा देने तक सीमित नहीं, बल्कि यह लंबे समय तक मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर तथ्यों पर बात की जाए तो इस बारे में कई तरह के राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराए गए हैं। लेकिन सरकारी सर्वेक्षण यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की विभिन्न रिपोर्टों के निष्कर्ष के रूप में यह बात सामने आई है कि, बाजार में उपलब्ध दूध, तेल, और मसालों के नमूनों में भारी मात्रा में मिलावट पाई गई है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दूध के 68 प्रतिशत नमूनों में किसी न किसी तरह की मिलावट पाई गई है। रिपोर्टों में बताया गया है कि आमतौर पर खाने -पीने के सामानों में जिस तरह की मिलावट पाई गई उनमें दूध में पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, स्टार्च, तेल में , अरंडी या पाम ऑयल की मिलावट और मसालों में, ईंट के पाउडर, रंग, धूल-मिट्टी की मिलावट की गई है। इसके अलावा, फल-सब्ज़ियों में आर्टिफिशियल रंग, कैल्शियम कार्बाइड से पकाने एवं मिठाई व पेय पदार्थों में सिंथेटिक रंग एवं सैक्रीन जैसी सेहत के लिए हानिकारक चीजों पाईं गईं। अब उन कारणों का जिक्र करते हैं जिनकी वजह से मिलावट की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। सबसे बड़ा और सबसे आम कारण तो ज्यादा फायदा कमाने का लालच है। सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाकर अपना मुनाफा बढ़ाने की फितरत। दूसरी बात, हमारे देश में कमजोर निगरानी तंत्र की मौजूदगी के अलावा निरीक्षण एवं लैब टैस्टिंग जैसी सुविधाओं की कमी को देखा जा रहा है। तीसरी और सबसे अहम बात, देश में मिलावट संबंधी प्रावधानों में सख्त नियम होने के बावजूद उन पर प्रभावी अमल का अभाव है। इसके अलावा, बड़ा कारण उपभोक्ताओं में मिलावटी उत्पादों को लेकर जागरूकता का घोर अभाव है। भारत के आम उपभोक्ता की नजर में मिलावटी उत्पादों को लेकर किसी किस्म की कोई संजीदगी देखने को नहीं मिलती है। मिलावट से जन स्वास्थ्य को नुकसान तो होता ही है लेकिन उससे भी बड़ी बात छोटे फायदे के चक्कर में देश के आर्थिक ढांचे पर गहरी चोट का पहुंचना है। पिछले दिनों में देश के प्रतिष्ठित तेल, घी, शहद और मसालों के ब्रांड पर विदेशों में सवाल उठा और वहां उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसरा असर क्या हुआ जो विदेशी मुद्रा इन उत्पादों के विशाल विदेशी बाजार से आ रही थी उस पर रोक लग गई। इसके साथ सवाल उत्पादों की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। एक बार बाजार में कोई ब्रांड बदनाम हो गया तो उसे उसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि देश में मिलावट के खिलाफ कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 272-273 है जिसमें मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ताओं को मिलावट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है। सवाल उठता है कि जब प्रावधान हैं, तो कमी कहां रहती है। इस लिहाज से देखें तो पाएंगे कि देश में उपभोक्ता शिकायत प्रणाली बहुत ही जटिल और लंबी है जिसमें आम उपभोक्ता के लिए राहत कम प्रताड़ना ज़्यादा है। मिलावट के खिलाफ प्रभावी नियंतत्र के लिए जरूरी ढांचे का, जिसमें कर्मचारियों से लेकर टेस्टिंग लैबों की बेहद कमी देखने में आ रही है। दोषियों पर तेजी के साथ कार्रवाई का न होना भी इस बाजार को फलने-फूलने का मौका देता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एवं असंगठित बाजारों की निगरानी भी बेहद लचर है। अब, ऐसे हालात में क्या किए जाने की अपेक्षा है? कुछ बिंदु हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए- पहला, मिलावट के खिलाफ काम करने वाले ठोस मैकेनिज्म की जरूरत है जो न सिर्फ नियमों पर अमल कराए बल्कि उसका उल्लंघन करने वालों को कानूनी जद में भी ले आए और सख्त सजा दिलाए। दूसरा, उपभोक्ता सहभागिता और जनजागरूकता जैसे विकल्पों को भी आजमाने की जरूरत है। हेल्पलाइन नंबरों और शिकायत के लिए मोबाइल ऐप को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, छोटे किसानों एवं सहकारी संघों को शुद्ध एवं जौविक उत्पादों के क्षेत्र में अधिक काम करने के लिए लिए प्रोत्साहित करके मिलावट के कारोबार पर गहरी चोट की जा सकती है। कानून, नियमों पर अमल, सजा ये सब एक तरफ लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं कि मिलावट के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण में समाज, उसकी सोच, देश के भविष्य की सेहत के प्रति संजीदगी और बतौर नागरिक लोगों की जिम्मेदारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

आरती झा

जीएसटी सुधारों का 'दूसरा युग'

▸ 12 लाख तक आयकर नहीं ▸ रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती ▸ दवाओं की कीमतों पर राहत ▸ मेडिकल बीमा पर टैक्स नहीं

सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में जो बदलाव किया गया है और वस्तुओं पर लगने वाले कर को कम किया गया है, वो सिर्फ टैक्स का सरलीकरण नहीं है, बल्कि इसका असर इससे कहीं ज़्यादा है। जीएसटी में कमी से लोगों के पास जो पैसा बचेगा, ज़ाहिर तौर पर उससे परिवारों की घरेलू ख़र्च योग्य आय में बढ़ोतरी होगी। इससे लोग अधिक ख़र्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और कहीं न कहीं इससे भारत के उपभोग-आधारित विकास मॉडल को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

भारत में 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुके नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधारों को देश के आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों की तरह से देखा जा रहा है। इससे कारोबार को प्रोत्साहन मिलने के साथ आम उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'जीएसटी बचत उत्सव' का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों की जीवनशैली को सरल और सस्ता बनाना है। नवरात्रि के पहले दिन से 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरुआत की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों का लाभ मिलेगा। इस दौरान, उपभोक्ताओं से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है।

जीएसटी सुधारों का दूसरा युग

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 56 वीं बैठक भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बदलाव के लिहाज़ से मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस बैठक के दौरान जीएसटी स्लैब की संख्या को कम करने का निर्णय लिया गया और अब देश में मुख्य रूप से जीएसटी के सिर्फ़ दो स्लैब ही बचे हैं। ज़ाहिर है कि अर्थशास्त्री लंबे अर्से से जीएसटी स्लैब में बदलाव की मांग कर रहे थे और जीएसटी को सरल, कुशल व विकास को गति देने वाली टैक्स प्रणाली बनाने की पैरोकारी कर रहे थे। अब आख़िरकार जीएसटी काउंसिल ने इस दिशा में क़दम बढ़ाए हैं और जीएसटी के स्लैब कम करके इसका सरलीकरण किया है।

भारत के विकास की बात की जाए, तो इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। पिछले तीन दशकों में भारत की वृद्धि मुख्य रूप से उपभोग आधारित रही है, यानी इस पर निर्भर रही है कि वस्तुओं का कितना ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। भारत का निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी ज़रूरी और बुनियादी सेवाओं व वस्तुओं पर किया गया कुल ख़र्च अभी भी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 58 प्रतिशत है। यह आंकड़ा चीन 38 प्रतिशत या कई दूसरी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि भारत के मध्यमवर्गीय परिवारों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी बचत की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं पर ख़र्च करने की प्रवृत्ति अमीरों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि एक मध्यमवर्गीय परिवार को अगर टैक्स से राहत मिलती है, तो जो भी पैसा बचता है उसके उपभोग की वस्तुओं पर ख़र्च करने की संभावना बहुत अधिक होती है। ज़ाहिर है कि इससे बाज़ार में पैसे का प्रवाह बढ़ता है और ज़ाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को हर लिहाज़ से फायदा मिलता है।

क्या हैं ख़ास बदलाव?

तीन-स्तरीय टैक्स स्लैब

- 5%: आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, डेयरी उत्पाद, दवाएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं।
- 18%: सामान्य वस्तुएं और सेवाएं।

- 40%: लक्ज़री और 'सिन' वस्तुएं (जैसे महंगी कारें, शराब, तंबाकू)।

इससे पहले के 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे टैक्स संरचना सरल और पारदर्शी हो गई है।

आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कमी

कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है:

- दूध, घी, पनीर, मक्खनः जीएसटी 12%-18% से घटाकर 5% किया गया है।
- चॉकलेट, बिस्कुट, पास्ताः जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है।
- सूखे मेवे, मसाले, चीनी उत्पादः जीएसटी 12%-18% से घटाकर 5% किया गया है।

आयकर छूट की सीमा बढ़ी

आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है, जिससे निम्न और मध्यवर्गीय परिवारों को 2.5 लाख करोड़ तक की बचत का अनुमान है।

वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कीमतों में कमी

नई जीएसटी दरों के तहत वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कमी आई है।

उपभोक्ता को क्या है फायदा?

जीएसटी में जो ताज़ा बदलाव किया गया है, उसमें मुख्य रूप से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब को हटाना शामिल है। इससे जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली बन गई है, जिसमें टैक्स कम हो गया है, यानी अब मुख्य तौर पर 5 और 18 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब ही बचे हैं। इस बदलाव से रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली ज़रूरी वस्तुओं जैसे

कि दूध और पनीर से लेकर तमाम दूसरे घरेलू उपयोग के सामानों पर लगने वाले टैक्स में अभूतपूर्व कमी की गई है। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पर पहले 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन अब उन्हें 5 प्रतिशत वाले स्लैब में ला दिया गया है। कई वस्तुओं पर तो जीएसटी समाप्त ही कर दिया गया है। सबसे ख़ास बात यह है कि कैंसर और कई दूसरी घातक बीमारियों के साथ ही पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब से बाहर निकालकर, उन पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में किया गया यह बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है। दवाइयां ऐसी ज़रूरी चीज़ होती हैं, जिन्हें कोई चाहकर भी ख़रीदना बंद नहीं कर सकता है। यानी दवाएं चाहे कितनी महंगी मिलें, मरीज़ उसे ख़रीदते हैं और यह उनकी मज़बूरी होती है। ज़ाहिर है कि जिन परिवारों में बुजुर्ग सदस्य हैं और लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें हर हाल में दवाएं लेनी होती हैं। पहले जो जीएसटी दरें थीं, उससे उन्हें महंगी दवाएं लेनी पड़ती थीं और इससे उनका ख़र्च बढ़ गया था। इन दवाओं पर लगने वाले जीएसटी कम करने से न सिर्फ़ ऐसे परिवारों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर भी बहुत राहत पहुंचेगी। इसी के साथ सरकार ने एक और सराहनीय क़दम उठाया है, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ज़ाहिर है कि पहले ऐसे सभी बीमा पर 18 प्रतिशत कर वसूला जाता था। इस छूट से देश में बीमा कराना सस्ता होगा और लोगों की पहुंच में होगा। देश में अभी भी बहुत बड़ी आबादी की सामाजिक सुरक्षा के इस उपाय, यानी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तक पहुंच नहीं है और इससे इनका दायरा बढ़ेगा, साथ ही आम लोग भी अपना स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

इसके अलावा, सरकार ने हानिकारक और

विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। सरकार का यह क़दम न केवल न्यायसंगत है, बल्कि आर्थिक रूप से उचित भी है। विलासिता की वस्तुओं पर ज़्यादा जीएसटी लगाकर अपने राजस्व में बढ़ोतरी करने का सरकार का फैसला किसी भी लिहाज़ से अनुचित नहीं है। इस निर्णय से मध्यमवर्ग और निम्न मध्यमवर्ग के लोगों की क्रय शक्ति में इज़ाफा होगा है। ज़ाहिर है कि यह वो वर्ग है जो भारत के विकास की धुरी है और इसके सशक्तिकरण से ही भारत को आर्थिक तरक्की के मार्ग पर और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्या है सुधारों का मकसद?

सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में जो बदलाव किया गया है और वस्तुओं पर लगने वाले कर को कम किया गया है, वो सिर्फ टैक्स का सरलीकरण नहीं है, बल्कि इसका असर इससे कहीं ज़्यादा है। जीएसटी में कमी से लोगों के पास जो पैसा बचेगा, ज़ाहिर तौर पर उससे परिवारों की घरेलू ख़र्च योग्य आय में बढ़ोतरी होगी। इससे लोग अधिक ख़र्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और कहीं न कहीं इससे भारत के उपभोग-आधारित विकास मॉडल को मज़बूत करने में मदद मिलेगी। जीएसटी का सरलीकरण ग़रीबी कम करने में भी योगदान देता है, क्योंकि भारत के ग़रीबी के पैमाने उपभोग करने की क्षमता से निर्धारित होते हैं। सरकार के इस फैसले से

दवाइयां ऐसी ज़रूरी चीज़ होती हैं, जिन्हें कोई चाहकर भी ख़रीदना बंद नहीं कर सकता है। यानी दवाएं चाहे कितनी महंगी मिलें, मरीज़ उसे ख़रीदते हैं और यह उनकी मज़बूरी होती है। ज़ाहिर है कि जिन परिवारों में बुज़ुर्ग सदस्य हैं और लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें हर हाल में दवाएं लेनी होती हैं। पहले जो जीएसटी दरें थीं, उससे उन्हें महंगी दवाएं लेनी पड़ती थीं और इससे उनका ख़र्च बढ़ गया था। इन दवाओं पर लगने वाले जीएसटी कम करने से न सिर्फ़ ऐसे परिवारों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर भी बहुत राहत पहुंचेगी।

ग़रीबों की खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर दवाओं तक सभी ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने की ताक़त में इज़ाफा होगा और कुल मिलाकर देश के सबसे ग़रीब तबके को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

कुछ और सवालों के समाधान चाहिए?

जीएसटी स्लैब कम करने का यह फैसला हालांकि ऐसा नहीं है, जिससे कर प्रणाली की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राज्यों के लिए राजस्व तटस्थता यानी ऐसे बदलाव जिनसे राज्य सरकारों के खजाने में आने वाले राजस्व में कोई बदलाव न हो, राज्यों को होने वाले नुक़सान की भरपाई के लिए तंत्र विकसित करना और कर आधार को व्यापक बनाना यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर के दायरे में लाना, जैसे कई सवाल आज भी क़ायम है, जिन पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है।

इसमें कोई शक नहीं है कि जीएसटी काउंसिल का यह निर्णय संरचनात्मक सुधार के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों को ज़्यादा जीएसटी से राहत प्रदान करने के साथ ही सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करने के बीच संतुलन स्थापित करने वाला है। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के वर्तमान महौल में अगर भारत अपनी विकास की गति को बरक़रार रखना चाहता है, तो उसके लिए यह बढ़ता हुआ पूंजीगत व्यय और मज़बूत खपत का तालमेल बेहद अहम साबित होगा। फिलहाल, जीएसटी की दरों में हुए अहम बदलाव से कहीं न कहीं आम उपभोक्ताओं को काफी फायदा नजर आ रहा है।

-लेखिका ग्रामीण उपभोक्ता की समाचार संपादक हैं

विष्णु स्वरूप

एक डॉक्टर की 'मुहिम' ने खड़े किए मरीज के अधिकारों को लेकर अहम सवाल

▸ हमारी- सेहत, हमारा- अधिकार ▸ सेहत से जुड़े अधिकारों को जानना आपका हक ▸ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

एम्स की वरिष्ठ चिकित्सक रही और उत्तराखंड में जेम आफ अंकोलाजी अवार्ड से सम्मानित डा सुषमा भटनागर इन दिनों इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 'जीवित लोगो की वसीयतनामा" नामक एक ऐसी क्लिनिक की सूत्रधार बन रही है, जहां रोगी एक उपभोक्ता बनकर अपने अधिकार का प्रयोग कर खुद ही अपने जीवन के अंतिम समय को परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए (प्री ड्राफ्ट) वसीयत पर दस्तखत कर रहे हैं। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है लेकिन जब 'लिविंग विल क्लिनिक" रोगी को खुशी चुनने की स्वतंत्रता दे रहा है, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भटनागर की इस पहल से आम लोगो को या कहें कि एक उपभोक्ता को वही स्वतंत्रता मिल रही है, जिसे पहले रोगी के लिए 'इच्छा मृत्यु" के नाम से अपने अधिकार के रूप में लेना बताया जाता रहा है।

डॉ. सुषमा भटनागर खुद अपने पति से बातचीत करते हुए कह रही हैं कि अगर वे किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाएं तो वे उनकी गोद में सिर रखकर और अपने छोटे बेटे से संगीत सुनते हुए मरना पसंद करेंगी। मतलब साफ़ है कि आम आदमी को अब अपने उपभोक्ता अधिकार के तहत यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यही अधिकार स्वास्थ्य सेवाओं के तहत भी उसे पाने का है।

यह तो हुई एक मरीज के अधिकारों को लेकर एक खास मुहिम की बात सवाल ये है कि एक आम उपभोक्ता एक मरीज के रूप में अपने अधिकारों को लेकर किस हद तक जागरूक है ? ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका इस आलेख में इन्हीं अधिकारों के बारे में पाठकों को जानकारी देने जा रही है।

सबसे पहले जानिए कि मरीजों के क्या क्या अधिकार होते हैं और स्वास्थ्य सुरक्षा है क्या ?

- मरीज को सेहत से जुड़ी जानकारी का हक
- गलत इलाज पर मुआवजे का अधिकार
- मरीज किसी भी दूसरे विशेषज्ञ की सलाह ले सकता है

स्वास्थ्य सुरक्षा क्या है?

स्वास्थ्य सुरक्षा मूल रूप से एक सामाजिक अवधारणा है। इसका मतलब केवल इलाज नहीं है। बल्कि इसका मतलब व्यक्ति का सामाजिक और मानसिक कल्याण है। स्वास्थ्य सुरक्षा के माध्यम से कहीं न कहीं लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में इस तरह के अधिकार दिए जाते हैं कि वे सेहत के साथ- साथ मानसिक और सामाजिक तौर पर अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में इस बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निहित है। इसके अलावा, 1948 के मानवधिकार घोषणापत्र का अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि हर एक को ऐसे मापदण्ड के साथ जीने का अधिकार है जो उसके तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त हो।

मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी सावधानी तथा इलाज का अधिकार

हर व्यक्ति को बिना धर्म, जाति , लिंग , आयु, वंश राजनीतिक संबंध, आर्थिक स्तर के भेदभाव के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने और इलाज का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सब को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हो। हर मरीज का इलाज सावधानी, मर्यादा एवं इज्जत के साथ किया जाना चाहिए। मरीजों को दी जाने वाली सभी दवाइयो का स्तर, फायदा, योग्य सुरक्षा के मापदण्ड पर खरीद होनी चाहिए। हर

नीति नियम

मरीज को आपातकालीन इलाज की सुविधा का अधिकार है। जब कोई बच्चा अस्पताल में दाखिल होता है तो उसे यह अधिकार है कि उसके साथ माता-पिता या अभिभावक साथ रह सके। मरीजों की जांच सम्मानित तरीके से की जानी चाहिए।

मनपसंद सुविधा का अधिकार

मरीज को किसी भी समय दोबारा सोचने का अधिकार है। मरीज को अपने इलाज का मेडिकल रिकार्ड लेने का अधिकार है । वह किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रुप में इस रिकॉर्ड को लेने की जिम्मेदारी दे सकता है । जहां तक हो सके मरीज को अपनी पसंद के अस्पताल एवं डॉक्टर से इलाज कराने का अधिकार प्राप्त है। मरीज को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी मिलने के बाद यह अधिकार है कि वह इलाज करवाए या नहीं करवाए। यदि मरीज किसी डॉक्टर के इलाज से संतुष्ट नहीं है तो वह डॉक्टर बदल सकता है।

सुविधा ग्रहण करने का अधिकार

इलाज एवं जांच से पहले मरीज को संबंधित इलाज तथा अन्य विकल्पों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है । जहां पर संभव हो वहां मरीज को इलाज से संबंधित खतरों, समस्याओं, इलाज के बाद प्रभावों, मृत्यु की आशंका, इलाज के असफल होने की आशंका के बारे में सूचना दी जा सकती है। मरीज किसी भी इलाज एवं जांच से मना कर सकता है ।

सूचना और इच्छा का अधिकार

मरीज को डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी एवं डॉक्टर उसके इलाज के लिए जिम्मेदार है उसके बारे में वह पूरी सूचना ले सकता है। मरीज को बताई गई एवं खरीदी गयी सभी दवाओं के बारे में सूचना का अधिकार है। इसमें दवाइयों की कीमत, सुरक्षा जैसी जानकारी भी शामिल है।

यदि मरीज अस्पताल में है तो उसे ट्रांसफर करने या इलाज बदलने, छुट्टी देते समय उससे सलाह लेना आवश्यक है। किसी भी मरीज का इलाज उसकी इच्छा के बिना नहीं किया जाएगा। नाबालिग मरीज की स्थिति में उसके माता-पिता या अभिभावक की इच्छा आवश्यक है। यदि मरीज इच्छा बताने में असक्षम है और इलाज में विलंब खतरनाक साबित हो सकता है तो डॉक्टर जरुरी इलाज या ऑपरेशन कर सकता है। मरीज को अपनी बीमारी, इलाज, स्थिति, पूर्वानुमान तथा अन्य सभी रिकॉर्डों को देखने का अधिकार है ।

मरीज को उचित क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अपनाने का अधिकार

अस्पताल के डॉक्टर , स्टाफ या किसी अन्य बुरी प्रक्रिया के विरुद्ध मरीज को कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। मरीज को अस्पताल स्टाफ या डॉक्टर की लापरवाही, गैर इंतजामी, गलत प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण हुई चोट, तकलीफ, बीमारी के विरुद्ध मुआवजा लेने का अधिकार है।

स्वच्छ वातावरण का अधिकार

हर व्यक्ति को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वातावरण का अधिकार है । इसमें चिकित्सा केंद्र, अस्पताल के कमरे या वार्ड तथा अन्य चिकित्सा संबंधी सुविधाएं शामिल हैं।

मुआवजे के लिए दावा

उपभोक्ता न्यायालयों में प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ मुकदमे किए जा सकते हैं। उपभोक्ता आयोगों में मरीज और उसका मनोनीत एजेंट मुआवजे का दावा कर सकता है । इस काम के लिए उसे कोई शुल्क नहीं देना होता। शिकायतकर्ता या उसका एजेंट शिकायत की

प्रतिलिपि जमा करा सकते हैं।

अनौपचारिक मेडिकल अदालत

मेडिकल अदालत एक अनौपाचारिक अदालती प्रक्रिया है। इसमें मेडिकल लापरवाही से पैदा हुए मुआवजे के मुद्दों को पक्षों के बीच आपसी समझदारी से सुलझाया जाता है। इसमें रिटायर जज, वकील , डॉक्टर तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्यों की चिकित्सा परिषदें गंभीर व्यावसायिक दुराआचरण अथवा चारित्रिक कमजोरी दिखाने वाले किसी कार्य के लिए पंजीकृत चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून में मरीजों के अधिकार

अगर आपने डॉक्टर या अस्पताल की सेवाओं के लिए फीस दी है तो आप उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उन पर उपभोक्ता आयोगों में मुकदमा चला सकते हैं। इसलिए डॉक्टर या अस्पताल को किए गए हर भुगतान के लिए रसीद अवश्य मांगे।

डॉक्टर या अस्पताल के अनुचित आचरण के खिलाफ आप सामान्य अदालतों में भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन यह विकल्प खर्चीला और बहुत समय लेने वाला होता है। इसलिए अन्य विकल्पों से समस्या का समाधान नहीं हो पाने पर ही अंत में यह विकल्प अपनाएं।

मेडिकल लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- अस्पताल अपने डाक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा।
- नाबालिग के माता-पिता उपभोक्ता की तरह मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के अधिकारी होंगे।
- कोई भी परामर्शदाता अपने जूनियर को यदि बिना उनकी काबिलियत जाने अपनी जिम्मदारी का काम सौंपता है तो यह लापरवाही मानी जाएगी।
- मरीज के प्रश्नों के प्रति डॉक्टर तथा स्टाफ उत्तरदायी होगा।
- डॉक्टर दवाइयों के नाम पूरा तथा साफ तरीके से लिखेंगे ताकि मरीज को उसे समझने में आसानी हो।
- मरीज को उसकी बीमारी एवं इलाज के बारे में पूरी जानकारी देना जरूरी ताकि डॉक्टर एवं मरीज के बीच का विश्वास बना रहे।
- मरीज अपने इलाज, खान-पान के संबंध में डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करेगा।
- डॉक्टरी रिकॉर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए, उनकी उचित देखरेख होनी चाहिए तथा वह मरीज को उपलब्ध होने चाहिए।
- नर्सिंग स्टाफ प्रशिक्षित होना चाहिए तथा उन्हें अपने काम की जानकारी होनी चाहिए।
- मरीजों के प्रति डॉक्टरों , नर्सों तथा अस्पताल के अन्य कर्मचारियों का नजरिया मानवीय होना चाहिए, लाभ प्राप्त करने वाले व्यवसाय की तरह नहीं होना चाहिए।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

- **स्वास्थ्य से जुड़े अपने अधिकारों को जरूर जानें**
- **सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना**
- **मानवाधिकारों से जुड़ा है स्वास्थ्य का अधिकार**
- **सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से मिला दिशा निर्देश**
- **मेडिकल काउंसिल को कठोर कदम उठाने का हक**

बिनोद आशीष

जायके में जहर

देश में त्यौहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दिवाली से लेकर होली तक देश में तमाम त्यौहारों के अलावा शादी ब्याह की धूम रहती है। ऐसे में बाजार में खानपान के सामानों एवं मिठाइयों की बिक्री भी धड़ल्ले से होती है। इस मौसम के लिए रेहड़ी-पटरी से लेकर बड़े-बड़े ब्रांड तक साल भर इंतजार में रहते हैं। इसी दौरान देश में मिलावट का कारोबार भी खूब फलता-फूलता है। आपको इसका अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि अभी हाल-फिलहाल यमुना एक्सप्रेस वे पर लगभग 48,00 किलो नकली पनीर पकड़ा गया, गुजरात में 1500 किलो, हैदराबाद में 600 किलो और नाशिक में 250 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। देश भर में मिलावटी मावा, पनीर, घी, तेल और मसालों का बहुत बड़ा कारोबार है। मिलावटी खाद्य पदर्थों पर नकेल के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI जैसी संस्था मौजूद है लेकिन उसकी तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे मिलावट के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लग सके।

कुछ समय पहले की बात है जब जर्मनी की एक लैब ने कई प्रमख भारतीय ब्रांडों के उत्पादों को निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने की रिपोर्ट दी थी। कुछ समय देश में हो हल्ला मचा लेकिन फिर सब खामोश। भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट का मसला कभी भी गंभीर चर्चा का विषय नही रहा। तमाम शोध रिपोर्टों के हवाले से देखा जाए तो उनमें से कइयों में दावा किया गया है आने वाले वाले एक दशक से भी कम समय में भारत के हरेक घर में कैंसर के मरीज होंगे और इसका मूल कारण खानपान के सामनों में मिलावट होगा।

कुछ साल पहले यूपी के बाराबंकी में मैगी को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मैगी से पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में मिलावट के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन ऐसा वर्षों बाद हुआ जब मिलावट की खबर देश भर में सुर्खियों में रही। मीडिया में इस खबर को एक कैंपेन की तरह चलाया गया और उसके बाद कई राज्यों में मैगी की जांच हुई। कहीं सैंपल पास हुए, तो काफी जगह सैंपल में लैड और एमएसजी की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई। सरकार ने भारतीय़ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से मामले की जांच करने को कहा। बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन इस मामले में आगे क्या हुआ? मैगी फिर से बाजार में है, उसे बनाने वाली कंपनी नेस्ले का कारोबार जम कर चल रहा है और लोग फिर से दो मिनट वाली मैगी खा रहे हैं।

मिलावट से जंग की जरूरत क्यों?

खाद्य पदार्थ सहित हर तरह की मिलावट के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका असर न के बराबर है। खाद्यान्न के अलावा पेय पदार्थों, तेलों, शहद और दूध में मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर होती है। नियमों के मुताबिक मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती, जो मिलावटखोरों के लिए सबक बने।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2011, दिसंबर 2014 और अगस्त 2016 में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सलाह दी थी। गौरतलब है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली

सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दूध में मिलावट को लेकर 2011, 2016 और 2018 में सर्वेक्षण कराए गए थे। जगजाहिर है कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट से यह ज़ाहिर हो चुका है कि दूध में खतरनाक एल्फोटोक्सिन और एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है, जिससे हमारा लीवर हमेशा के लिए खराब हो सकता है या हम कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आंख, आंत, गुर्दे हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ सकते हैं। मिलावटी दूध पीने से बच्चों की ही नहीं, बल्कि बड़ों की हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं।

हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडीशा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम राज्यों से दूध में मिलावट की खबरें आती रही हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के दूध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा उत्पादित दूध 'आंचल" में मेलामाइन नामक जहरीले रसायन मिलाए जाने की खबर आई, तो लोगों ने सहकारी उत्पादक संघों की ईमानदारी पर सवाल उठाए।

मिलावट अब एक बेरोकटोक चलने वाली समस्या बन गई है। हर तरह की मिलावटों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका असर न के बराबर है। खाद्यान्न के अलावा पेय पदार्थों, तेलों, शहद और दूध में मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के दूध मिलावटी हो गए हैं। नियम के मुताबिक मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती, जो मिलावटखोरों के लिए सबक बने।

खतरनाक स्ट्रीट फूड

फुटकर दुकानों और सड़क के किनारे बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर कोई दावा करना भी मुश्किल है। हाल ही में दिल्ली में स्ट्रीट फूड पर एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। FSSAI ने वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली की 100 चाट की दुकानों से जो सैंपल लिए उसमें हानिकारक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा हद से ज्यादा पाई गई। गोलगप्पे के पानी में कॉलीफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि उसमें भारी मात्रा में मलीय गंदगी मौजूद थी। डॉक्टरों के मुताबिक कॉली बैक्टीरिया शरीर के पाचन तंत्र को खराब करता है और ऐसा खाना खाने वाला व्यक्ति डायरिया का शिकार हो जाता है। स्ट्रीट फूड के ये नमूने कनॉट प्लेस, राजौरी गार्डन, राजेंद्र प्लेस और सुभाष नगर जैसे पॉश इलाकों से लिए गए थे।

राजधानी दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में एक साल में लिए गए आटे के 14 सैंपल में से 10 सैंपल फेल हो गए हैं। जांच के दौरान आटे में ख़तरनाक रसायन पाए गए हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। दालों में घातक कलर और कैमिकल से लेकर पॉलिश तक इस्तेमाल करने के मामले भी सामने आते रहते हैं।

क्या कहता है कानून ?

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण के लिए देश में कई क़ानून जैसे, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांसाहार उत्पाद आदेश 1973, वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश 1988, सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टिड तेल, डी-ऑयल्ड भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश 1967, दूध एवं दूध उत्पाद आदेश 1992 मौजूद थे। हालांकि ये सारे क़ानून मिलावट की समस्या को रोक पाने में नाकाफी साबित हो रहे थे। इसी कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और

इनसे जुड़े सभी नियमों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 लाया गया था। इस कानून को अगस्त 2011 में ही लागू किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का गठन भी किया।

इस क़ानून में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिनसे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और दूषित वातावरण में भोजन का कारोबार करने वालों को अपनी अवैध गतिविधियां बंद करनी होंगी। इस क़ानून की ख़ास बात यह है कि इसमें खाद्य पदर्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके उत्पादकों पर डाली गई है। पहले की पीएफए व्यवस्था के तहत फ़ूड इंस्पेक्टर ही खाद्य पदार्थों की जांच और इन पर अभियोजन तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। अब इसकी जिम्मेदारी खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यापारियों पर आ गई है।

कड़ी सजा का प्रावधान

इस नए क़ानून में खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है और हरेक के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है।

पहली श्रेणी के तहत घटिया, मिलावटी और नकली माल की बिक्री के साथ-साथ भ्रामक विज्ञापन के मामले में संबंधित प्राधिकारी 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकेंगे। इसके लिए अदालत में मामला चलाने की जरूरत नहीं।

दूसरी श्रेणी में यदि किसी उपभोक्ता की मौत मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से हो जाती है तो इन मामलों का फैसला अदालत में होगा और दोषी को उम्रकैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

तीसरी श्रेणी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के नियमीकरण से जुडी है। छोटे निर्माता, रिटेलर, हॉकर, वेंडर, खाद्य पदार्थों के छोटे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है उन्हें भी अब अपना पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 12 लाख रुपए सालाना से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस नहीं लेने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की सलाह

गौरलतब है कि मिलावटखोरी करने वालों को कानून के तहत अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है। इस कानून को नाकाफी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय की केएस राधाकृष्णन और एके सीकरी की पीठ ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि जिन राज्यों ने मिलावट के अपराध के लिए अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया हुआ है, वे इसे सख्ती से लागू करें।

कितना कारगर हो पाया है FSSAI?

इसमें कोई दोराय नहीं कि यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का जिन उद्देश्यों के लिए गठन किया गया था उन्हें हासिल करने में ये प्राधिकरण प्रभावी तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाया है। देश में मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्राप्त करना एक चुनौती भरा कार्य

हो गया है। खुद प्राधिकरण की रिपोर्टें देश में हो रहे मिलावट के कारोबार का खुलासा करती है।

समीक्षात्मक नजरिए से देखा जाए तो कई ऐसे मोर्चे सामने आते हैं जहां प्राधिकरण कारगर नहीं हो पा रहा है। जैसे -

- खाद्य पदार्थ बेचने वालों का पंजीयन प्रभावी ढंग से अभी तक भी नहीं हो पा रहा है
- खाद्य पदार्थ निर्माताओं में कानून पालन के प्रति भय पैदा करने में प्राधिकरण सफल नहीं हो पा रहा है
- बड़ी संख्या में ऐसे खाद्य उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं जिन पर नियमानुसार प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना जरूरी है
- अधिकांश खाद्य पदार्थों के संबंध में अभी भी भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कसौटी के मानक तैयार नहीं किए जा सके है
- खाद्य पदार्थों में निर्धारित मात्रा से अधिक धातु, कीटनाशक एवं घातक कैमिकल्स पाया जाना आम बात है
- खाद्य पदार्थों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना और पहचान नहीं हो सकी है
- विभिन्न राज्य सरकारों के साथ प्राधिकरण के कार्यकलाप में तासमेल में कमी है। कई स्थानों पर निचले स्तर पर प्रभावी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है
- पर्याप्त संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने नहीं उठ पा रहे हैं
- खाद्य पदार्थों पर लगाए जाने वाले लेबलों को लेकर कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं
- जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है
- सब्जियों और खाद्य पदार्थों को पकाने में घातक कैमिकल्स के इस्तेमाल को रोक पाने में प्राधिकरण की भूमिका प्रभावी साबित नहीं हो सकी है
- विभिन्न मांसाहारी उत्पादों, खासकर खुले में बिकने वाले मीट, चिकन आदि की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में भी प्राधिकरण सफल नहीं हो पाया है

- मिलावट से मुनाफे का खेल
- रिश्वतखोर सिस्टम, लाचार उपभोक्ता
- कागजी नियम, जेब गरम
- उपभोक्ता की सेहत से खिलवाड़
- मिलावट से बीमारी नहीं, महामारी की आहट
- बेमानी हैं FSSAI जैसी नियामक इकाइयां

क्या किया जाना चाहिए ?

मिलावट पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को धारदार और प्रभावी बनाने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है -

- खाद्य पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी हो
- लाइसेंसीकरण को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए
- स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए प्रभावी मानक तय हों
- एक स्पष्ट खाद्य सुरक्षा नीति बनाई जाए

- खाद्य सुरक्षा में स्वैच्छिक संगठनों व आम जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाए
- खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपराधों में सजा कड़ी की जाए
- आपराधिक मामलों में सामान्य जुर्माना कर लीपापोती न की जाए
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टाफ में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं
- स्थानीय स्तर पर स्टाफ की कमी को समाप्त किया जाए
- प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए और निजी स्तर पर प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित किया जाए

कहां करें शिकायत?

मिलावट के मामलों में पुलिस को शिकायत नहीं की जाती, बल्कि इसके लिए अलग विभाग बना हुआ है। आप अपने इलाके के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन के डायरेक्टर या इंस्पेक्टर से इसकी शिकायत की जा सकती है। एसडीएम को प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत ऐसी शिकायत सुनने का अधिकार है। जब भी इस तरह की शिकायत होती है तो फूड इंस्पेक्टर और एसडीएम उस दुकान या होटल से सैंपल उठाते हैं। सैंपल लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। जांच रिपोर्ट में अगर इस बात की पुष्टि होती है कि सैंपल में मिलावट है तो आरोपी के खिलाफ इलाके के मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत भेजी जाती है। मजिस्ट्रेट आरोपी को नोटिस जारी करता है। हालांकि आरोपी को इस बात की छूट होती है कि वह सैंपल को दोबारा से फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की गुहार लगाए। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में जैसे ही मिलावट की पुष्टि हो जाती है तो आरोपी के खिलाफ केस चलता है।

खुद भी ले सकते हैं सैंपल

आप खुद भी ग्राहक बनकर मिलावट का शक होने वाली दुकान से सामान खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको दुकानदार से रसीद लेनी होगी और साथ ही उस खरीद के पक्ष में दो गवाह भी रखने होंगे। सुनवाई के दौरान वे गवाह शिकायती पक्ष के केस को मजबूत करते हैं। इस सैंपल को आप सीधे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन विभाग के इंस्पेक्टर या डायरेक्टर को दे सकते हैं। इसके बाद उस सैंपल की विभाग जांच कराता है और अगर मिलावट पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होती है।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादक हैं

सत्यम

मिलावट के खिलाफ दुनिया कहीं सख्त सजा तो कहीं भारी अर्थदंड

खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के कानूनी प्रावधान हैं। ये कानून खासतौर पर खाद्य सुरक्षा मानकों, हानिकारक पदार्थों के मिश्रण, मिलावट की गंभीरता और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने पर केंद्रित होते हैं। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सबसे प्रमुख संग्रहों में से एक कोडेक्स एलीमेंटेरियस है।

उच्चतम खाद्य सुरक्षा मानकों वाले देशों की सबसे व्यापक सूची इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स (जीएफएसआई) से आती है। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ने क्षेत्रीय विविधता, आर्थिक महत्व और जनसंख्या आकार के आधार पर सूचकांक में 113 देशों का चयन किया है ।

वर्ष 2022 की सबसे हालिया रिपोर्ट के अनुसार, फिनलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे सबसे अनुकूल खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार शीर्ष तीन स्थानों पर हैं।

दुनिया के कई देशो में मिलावट के कारोबार के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। हरेक देश ने इस संबंध में कानून बनाते समय अपने सामाजिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी ढांचे के संदर्भों को ध्यान में रखा है।

दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा उल्लंघनकर्ताओं की संख्या पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत और चीन सबसे ज़्यादा उल्लंघन करने वाले देश हैं। खाद्य सुरक्षा आकड़ों पर नज़र रखने वाली संस्था फ़ूड सेंट्री द्वारा किए गए एक वार्षिक सर्वेक्षण में, दुनिया के देशों को खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों की संख्या के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। जापान, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश खाद्य स्वच्छता के मामले में दुनिया में अग्रणी हैं। भारत, नाइजीरिया और बांग्लादेश में असुरक्षित खाद्य प्रबंधन और संदूषण का जोखिम सबसे ज़्यादा है।

भारत की तरह ही विभिन्न देशों में मिलावट के नियमों में समानता और भिन्नता भी है। अमेरिका में मिलावट के लिए सख्त नियम हैं, जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों को विभिन्न

- चीन में सजाए मौत तो सऊदी में शरीयत के हिसाब से सजा
- भारत में गंभीर मामलों में हो सकती है उम्रकैद

प्रकार के हानिकारक संदूषकों से मुक्त रखने के नियम शामिल हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) के खाद्य नियमों में खाद्य सुरक्षा और मिलावट को लेकर बहुत सख्त नियम हैं, जो उपभोक्ताओं को हानिकारक पदार्थों से बचाते हैं। सबसे सख्त खाद्य नियमों वाला देश कनाडा और डेनमार्क क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर हैं।

भारत

सबसे पहले बात भारत की, भारत में मिलावट के खिलाफ नियमों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित किया गया है। इसमें मिलावट के कारोबार के खिलाफ एक से लेकर 10 वर्ष तक के कारवास की सजा का प्रावधान रखा गया है। गंभीर मामलों में सजा आजीवन कारावास तक दी जा सकती है। जहां

तक जुर्माने की राशि का सवाल है तो यह 2 - 10 लाख रुपए के बीच तय की जा सकती है। मृत्यु होने की स्थिति में जुर्माने की राशि को बढ़ा कर 10 लाख तक किया जा सकता है।

चीन

चीन में मिलावटी खाने-पीने के सामानों की बिक्री रूकवाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक इस अभियान के तहत दो हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पांच हज़ार व्यवसायों को बंद करवा दिया गया है। यह अभियान चीन में हाल के समय में मिलावटी खाने के कारण ख़तरे की कई घटनाएं सामने आने के बाद चलाया गया था। अप्रैल में शुरु किए गए अभियान के बाद से खाने-पीने के सामानों से संबंधित लगभग छह हज़ार व्यवसायों की जांच की गई। चीन में पिछले कुछ अर्से में मांस और पावरोटी जैसी चीज़ों को महगी क्वालिटी के जैसा दिखने के लिए उनमें रंग डालने की घटनाएं सामने आईं थीं जिसके बाद ये अभियान चलाने का फ़ैसला लिया गया। चीन के फ़ूड सेफ्टी कमीशन ने एक बयान जारी कर बताया है कि सरकारी एजेंसियां सारे देश में ये अभियान चलाए रखेंगी और क़ानून तोड़ने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। चीन के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि खाने के सामानों की सुरक्षा में कोताही के कारण मृत्यु होने की स्थिति में दोषी को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए।

अमेरिका

अमेरिका में खाद्य मिलावट को संघीय कानून, मुख्य रूप से खाद्य, औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम (एफडी एंड सी एक्ट) के तहत प्रतिबंधित किया गया है और इसे एक अपराध माना जाता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) इन नियमों को लागू करते हैं। मिलावट के नियमों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण न हो, हानिकारक सामग्री न डाली जाए, और गुणवत्ता और लेबलिंग मानकों का पालन किया जाए। खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (एफएसएमए) जैसे आधुनिक कानूनों ने ट्रेसिबिलिटी को बेहतर बनाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में निवारक नियंत्रण लागू करने पर भी जोर दिया है।

अमेरिका में मिलावट को एक कानूनी अपराध माना जाता है, और संघीय मानकों को पूरा न करने वाले उत्पादों को कानूनी तौर पर मिलावटी माना जाता है। एफडीए मिलावट करने वालों पर कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जुर्माना और आपराधिक दंड भी शामिल हो सकते हैं। मिलावट के खिलाफ कानून में आमतौर पर एक से तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है जबकि गंभीर मामलों में यह सजा 20 वर्ष तक की हो सकती है। इसके अलावा बहुत भारी अर्थदंड का प्रावधान भी है।

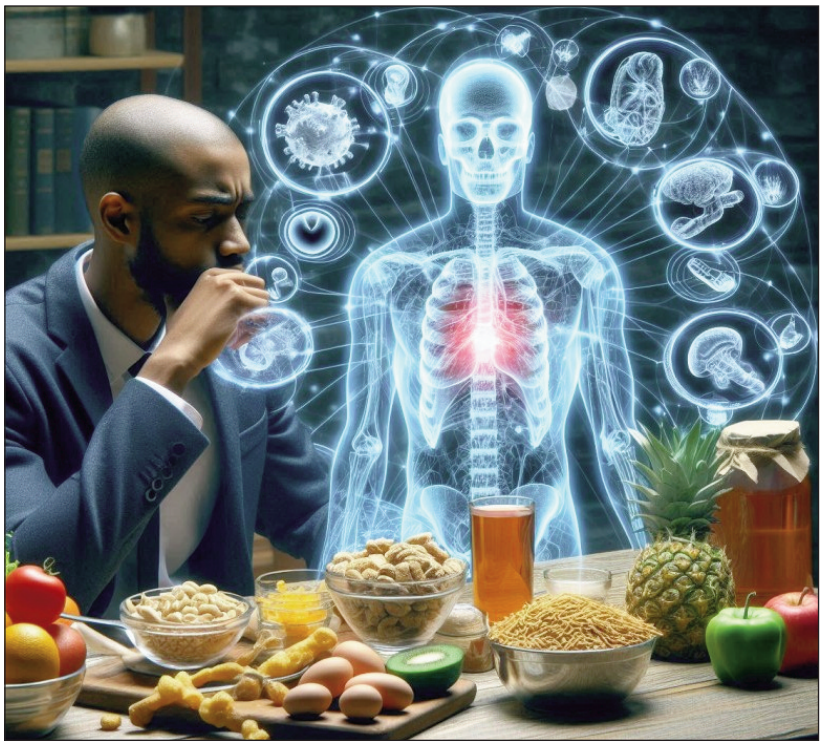

इंग्लैंड

इंग्लैंड में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट 1990 को अमल में लाया गया। इसके तहत 6 से 10 वर्ष तक की सजा के अलावा मिलावट करने वालों पर भारी अर्थदंड एवं उनका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है।

जर्मनी

जर्मनी में एलएफजीबी कानून के द्वारा मिलावटखोरों पर नियंत्रण किया जाता है। इसके तहत 5-10 वर्ष सजा के प्रावधान के अलावा भारी आर्थिक दंड दिया जा सकता है।

जापान

जापान में फूड सेनिटेशन एक्ट बनाया गया है जिसमें 3-5 वर्ष की सजा के अलावा 20 मिलियन डॉलर तक का भारी अर्थदंड शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया

यहां मिलावटखोरों को 10 वर्ष तक की सजा के अलावा भारी जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

सऊदी अरब

सऊदी अरब में मिलावट के खिलाफ सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी रेगुलेशंस बनाए गए हैं। यहां मिलावटखोरों पर एक मिलियन रियाल तक अर्थदंड या फिर शरीयत के हिसाब से सजा देने का प्रावधान है।

–लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं

पहल

देश	कानून	कैद की सजा	जुर्माना/अन्य दंड
भारत	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006	1–6 वर्ष, गंभीर मामलों में आजीवन कारावास	₹2–10 लाख, मृत्यु पर न्यूनतम ₹10 लाख
चीन	Food Safety Law of China	मृत्युदंड तक	अरबों युआन, आजीवन व्यवसाय प्रतिबंध
संयुक्त राज्य अमेरिका	Federal Food, Drug, and Cosmetic Act	1–3 वर्ष, गंभीर मामलों में 20 वर्ष तक	अरबों डॉलर तक हर्जाना
यूनाइटेड किंगडम	Food Safety Act, 1990	6 महीने से 10 वर्ष	अनलिमिटेड जुर्माना, लाइसेंस रद्द
जर्मनी	LFGB (Lebensmittelgesetzbuch)	5–10 वर्ष	लाखों यूरो जुर्माना
जापान	Food Sanitation Act	3–5 वर्ष, गंभीर मामलों में आजीवन	20 मिलियन येन तक जुर्माना
ऑस्ट्रेलिया	FSANZ Act	10 वर्ष	500,000 AUD तक जुर्माना
सऊदी अरब	Saudi Food & Drug Authority Regulations	10 वर्ष	1 मिलियन रियाल तक जुर्माना, शरीयत दंड

fssai

Eat Right India
Healthy. Safe. Fortified.
Led by FSSAI under the Ministry of Health and Family Welfare

Combat Food Adulteration

DART Book:
check food adulterants at home

Food Safety on Wheels:
Mobile food-testing lab

100+ tests of
food adulterants for
schoolchildren

275+
notified labs for
all tests

www.fssai.gov.in

स्वस्थ-सुरक्षित रहना है तो सावधान रहें

त्यौहार आ गए हैं

त्यौहारों और शादी ब्याह का सीजन आ चुका है। ग्रामीण उपभोक्ता के इस अंक को इसीलिए मिलावटी खानपान पर केंद्रित किया गया है। इसे अलावा कुछ विशेष चीजों को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है।

त्यौहार मनाते समय मिठाइयों का खास ध्यान रखें। दीपावली पर पटाखों का इस्तेमाल न करें। इससे वातावरण को कम हानि और वायु प्रदूषण कम होगा। धूप और दीपों के उपयोग में भी सावधानी बरतें, और इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। खानपान में सतर्क रहें। बच्चों को खासकर पटाखों के बारे में जानकारी दें।

वायु प्रदूषण से बचें

इस मौसम में पटाखों एवं वाहनों से अलावा फसल अवशेष जलने का प्रदूषण काफी होता है। ऐसे में बहुत से लोगों को सांस की दिक्कत हो जाती है। वायु प्रदूषण सांस और फेफड़ों की समस्या के अलावा, शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इसी दौरान कोरोना वायरस के सबवैरिएंट की दस्तक देने की खबरें भी मिल रही हैं। इसलिए हवा से होने वाली दिक्कतों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

पटाखे न जलाएं

महानगरों में रहने वाले लोग इस दौरान आतिशबाजी से बचें। यदि आप ऐसा करने से परहेज करेंगे तो बच्चे भी उससे होने वाले नुकसान और प्रदूषण तथा पर्यावरण की महत्ता समझ को पाएंगे। अगर आप छोटे शहरों के निवासी हैं तो नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में पटाखे जलाएं। जिस स्थान पर बच्चे पटाखे जला रहे हैं, वहां 2 बल्टी पानी जरूर रखें। इससे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर तुरंत पानी डाला जा सकेगा।

फर्स्ट एड बाक्स तैयार रखें

कभी-कभार मिटटी के दिए जलाने पर भी अनहोनी हो जाती है। इसलिए फर्स्ट ऐड बॉक्स तैयार रखें। यदि कोई ज्यादा जल गया है, तो साफ़-सुथरे काटन शीट में लपेटकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं।

आग से सैनिटाइज़र को दूर रखें

कोरोना महामारी के बाद से सेनिटाइजर का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। त्यौहार में भी सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज़ जरूर करें। लेकिन यह बात ध्यान में रखें कि केमिकल की मौजूदगी के कारण सैनिटाइजर बहुत अधिक ज्वलनशील होता है। जहां कहीं भी दीया जल रहा हो या पटाखे जलाये जा रहे हों, उस स्थान से सैनिटाइजर को बहुत दूर रखें।

धुएं और शराब से परहेज करें

कई लोगों को धुएं से एलर्जी होती है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे लोग धुएं के पास जाने से परहेज करें। किसी भी प्रकार के सांस के रोगों के मरीज घर के अंदर रहें। लंबे वीकेंड के साथ जब त्यौहार आता है, तो लोग ज्यादा ही पार्टी मूड में आ जाते हैं। मगर पार्टी का मतलब नशे में धुत हो जाना नहीं है। अगर आप अल्कोहल के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो बेहतर होगा कि आप ऐसी पार्टियों से परहेज करें।

पौष्टिक खाएं स्वस्थ रहें

अक्सर हम त्यौहार के नाम पर खूब तली-भुनी चीज़ें खा लेते हैं। जम कर मिठाइयां खा लेते हैं। फिर त्यौहार खत्म होने पर हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा से परेशान होने लगते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रीन पटाखे बनाने की दी अनुमति

इस बार दिल्ली-एनसीआर की दिवाली धूम धड़ाके वाली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत दे दिए हैं। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर 26 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी है। अभी तक इस पर पूरी तरह पाबंदी थी। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पटाखों की बिक्री हो सकेगी या नहीं। कोर्ट ने पटाखे बनाने की अनुमति देने के साथ ही केंद्र सरकार के लिए निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी हित धारकों से मिलकर प्रतिबंध के आदेश को लागू करने की नीति बनाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं कराया जा सका है।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

ब्रांडेड नहीं, जेनेरिक दवाएं खरीदें, आपकी सेहत के साथ-साथ जेब के लिए भी फायदेमंद

- केमिस्ट से मांगें जेनेरिक दवाएं
- ब्रांडेड दवाओं की तरह ही असरकारक
- जेनरिक दवाओं के लिए तमाम स्टोर्स
- जेनेरिक दवाओं की फ्रीहोम डिलीवरी भी

देश की नई स्वास्थ्य नीति में इलाज के साथ इस बात पर खास जोर दिया गया है कि व्यक्ति बीमार ही न पड़े। स्कूलों में योग को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रारूप तैयार किया गया। इसके अलावा भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। एक विशेष बात और जिस पर फोकस किया गया वह है सस्ती दवाओं की उपलब्धता।

हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब और निर्धन तबके के हैं। इलाज उनके लिए महंगा सौदा है। सरकार चाहती है कि इलाज सबका हो और उचित तरीके से हो। इसी क्रम में आजकल जेनेरिक दवाओं की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं प्रेस्क्रिप्शन में लिखनी चाहिए।

जेनेरिक दवाएं हैं क्या?

अब सवाल यह उठता है कि जेनेरिक दवाएं हैं क्या और ये बाकी दवाओं से अलग कैसे हैं? इसके जरिए इलाज सस्ता कैसे हो सकता है और ये दवाएं सस्ती क्यों होती हैं?

किसी एक बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह की रिसर्च और स्टडी के बाद एक रसायन (साल्ट) तैयार किया जाता है जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए दवा की शक्ल दे दी जाती है। इस साल्ट को हर कंपनी अलग-अलग नामों से बेचती है। कोई इसे महंगे दामों में बेचती है तो कोई सस्ते। लेकिन इस साल्ट का जेनेरिक नाम साल्ट के कंपोजीशन और बीमारी का ध्यान रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

किसी भी साल्ट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। अधिकत्तर बड़े शहरों में एक्सक्लूसिव जेनेरिक मेडिकल स्टोर होते हैं, लेकिन इनका ठीक से प्रचार-प्रसार न होने के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। मजूबरी में ठीक जानकारी ना होने के कारण गरीब भी केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर हो जाता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जेनेरिक दवाओं के पक्ष में
- विशेषज्ञ चाहते हैं इन दवाओं का चलन बढ़े

सस्ती दवाएं मिल सकती हैं

आमतौर पर डॉक्टर महंगी दवाएं लिखते हैं इससे ब्रांडेड दवा कंपनियां खूब मुनाफा कमाती हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि डॉक्टर भी मरीज के लिए सस्ती दवाएं लिख सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको जो दवा लिखकर देता है उसी साल्ट की जेनेरिक दवा आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है। महंगी दवा और उसी साल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में कम से कम पांच से दस गुना का अंतर होता है। कई बार जेनरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 90 पर्सेंट तक का भी फर्क होता है।

जेनेरिक दवाएं और भ्रम

जेनेरिक दवाएं बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती हैं। जेनेरिक दवा बनाने के तरीके पर पेटेंट हो सकता है लेकिन उसके मैटीरियल पर पेटेंट नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होती। न ही इनका असर कुछ कम होता है। जेनेरिक दवाओं की डोज, उनके साइड-इफेक्ट्स सभी कुछ ब्रांडेड दवाओं जैसे ही होते हैं। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए वियाग्रा बहुत जानामाना नाम है। इसकी जेनेरिक दवा सिल्डेन्फिल नाम से मौजूद है। लेकिन लोग

वियाग्रा लेना ही पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय ब्रांड हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी खूब पब्लिसिटी की गई है। वहीं जेनेरिक दवाइयों के प्रचार के लिए कंपनियां प्रचार नहीं करती।

जेनेरिक दवाएं बाजार में आने से पहले हर तरह के मुश्किल क्वालिटी स्टैंर्ड टेस्ट से गुजरती हैं। ठीक इसी तरह से ब्लड कैंसर के लिए ग्लाईकेव ब्राण्ड की दवा की कीमत महीने भर की 1,14,400 रुपए होगी, जबकि दूसरे ब्रांड की वीनेट दवा का महीने भर का खर्च 11,400 से भी कम आएगा।

जेनेरिक दवाएं आखिर सस्ती क्यों?

जहां पेंटेट ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं वहीं जेनेरिक दवाओं की कीमत को निर्धारित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप होता है। जेनेरिक दवाओं की मनमानी कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती।

क्या कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, डॉक्टर अगर मरीजों को जेनेरिक दवाएं प्रस्क्राइब करें तो विकसित देशों में स्वास्थ्य खर्च 70 पर्सेंट और विकासशील देशों में और भी अधिक कम हो सकता है।

इन बीमारियों की जेनेरिक दवा होती है सस्ती

कई बार डॉक्टर सिर्फ साल्ट का नाम लिखकर देते हैं तो कई बार सिर्फ ब्रांडेड दवा का नाम। कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें जेनेरिक दवाएं मौजूद होती हैं लेकिन उसी सॉल्ट की ब्रांडेड दवाएं महंगी आती हैं। ये बीमारियां हैं जैसे, दिल की बीमारी, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज, किडनी, मूत्र रोग। इन बीमारियों की जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है।

जेनेरिक और ब्रांडेड दवा में अंतर का पता कैसे करें?

एक ही साल्ट की दो दवाओं की कीमत में बड़ा अंतर यूं तो जेनेरिक दवा का सबूत हो सकता है लेकिन इसके लिए कई मोबाइल ऐप जैसे Healthkart plus और Pharma Jan Samadhan भी मौजूद हैं। इनके जरिए आप आसानी से सस्ती दवाएं खरीद सकते हैं। दवा इंडिया भी जेनेरिक दवाओं को बेचने और उसकी घर पर डिलीवरी कराने का काम करता है।

जेनेरिक दवाओं के लाभ

- जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती हैं। इससे आप हर माह अच्छे- खासे पैसे बचा सकते हैं।
- जेनेरिक दवाएं सीधे खरीदार तक पहुंचती हैं।
- इन दवाओं की पब्लिसिटी के लिए कुछ खर्च नहीं किया जाता इसलिए ये सस्ती होती हैं।
- सरकार इन दवाओं की कीमत खुद तय करती है।
- जेनेरिक दवाओं का असर, डोज और इफेक्ट्स ब्रांडेड दवाओं की तरह ही होते हैं।

विशेषज्ञों की राय

जेनेरिक दवाओं के बारे में विशेषज्ञों की राय बहुत अच्छी है लेकिन वे इस बारे में एक समस्या की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर्स दवा लिख भी देते हैं तो मेडिकल स्टोर्स किसी भी कंपनी की दवा ये कह कर मरीज को दे देते हैं कि उनके पास लिखी हुई दवा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल स्टोर्स को जिस दवा कंपनी से अधिक फायदा मिलता है वे वही कंपनी की दवा मरीज को देते हैं। ऐसे में कुछ ब्रांड्स को ही जेनेरिक मेडिसिन बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए। कई बार डॉक्टर जो दवा लिखते हैं और मेडिकल स्टोर से जो दवा मरीज को मिलती है उसमें उतनी मात्रा में वैसी कंपोजीशन और साल्ट नहीं होता जितना कहा गया होता है। ऐसे में मरीज को पूरा फायदा नहीं मिलता। अगर सचमुच जेनेरिक दवा अनिवार्य हो जाए तो इससे मरीज को बजट और स्वास्थ्य दोनों तरह से फायदा होगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर ये भी कहते हैं कि मेडिकल स्टोर्स को अपनी मर्जी से कोई भी दवा देने पर पूरी तरह से बंदिश लगा देनी चाहिए।

दिशानिर्देश की 10 खास बातें

- जेनेरिक दवाएं सस्ती और सुलभ हैं
- सरकार भी चाहती है इन दवाओं का चलन बढ़ाना
- सिर्फ ब्रांड न होने का फर्क
- दवाओं के साल्ट एक जैसे
- नई स्वास्थ्य नीति में जेनेरिक दवाओं पर जोर
- जानकारी न होने का फायदा उठाते हैं केमिस्ट
- कई रोगों में बेहद कारगर दवाएं उपलब्ध
- मरीज के कमखर्च इलाज का साधन
- जेरेनिक दवाओं की कीमत सरकार के हाथ में
- इन दवाओं के भी होते हैं साइड इफेक्ट

आशीष मिश्र

सबसे खतरनाक होता है हमारे भरोसे का उठ जाना...

यूनानी दार्शनिक अरस्तू जब 'पॉलिटिकस' नामक राजनीतिक ग्रंथ की रचना कर रहे थे तब वे अपने शिष्यों के साथ अक्सर पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर चर्चा किया करते थे। ऐसी चर्चाओं में कई दिलचस्प मोड़ आते थे। ऐसी ही एक चर्चा में डेमोक्रेसी और मॉबोक्रेसी में फर्क पर चर्चा आ खड़ी हुई। शिष्य डेमोक्रसी और मॉबोक्रेसी में कोई अंतर नहीं देखते थे जबकि अरस्तू की नजर में दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। वो फर्क क्या था ? अरस्तू ने अपने शिष्यों से कहा कि डेमोक्रेसी और मॉबोक्रेसी दोनों में फर्क विश्वास का है। अपने सिस्टम पर भरोसे का है। डेमोक्रेसी में जनता का अपने तंत्र पर भरोसा रहता है और उसे यकीन होता है कि यह सिस्टम समाज के हर वर्ग के हित को ध्यान में रखेगा। यही सोच उस व्यवस्था की रीढ़ होती है। इसके उलट मॉबोक्रेसी एक भीड़ से अलग कुछ नहीं होती। लोगों का ऐसा हुजूम जो उन्मादी हो सकता है, अपने संख्याबल की ताकत को ही अपनी ताकत मानता है, उसे विरोध सहन नहीं होता और विरोधी उसके दुश्मन होते हैं।

हजारों साल पहले जब पॉलिटिकस की रचना हो रही थी तब जनसंख्या तो बहुत सीमित थी लेकिन शायद तब उन्माद का ज्यादा बोलबाला था। छोटे-छोटे राज्य होते थे जो एक दूसरे को खत्म करने पर अमादा होते थे। इसी अरस्तू के शिष्य अलेक्जेंडर तो दुनिया जीतने निकल पड़े थे। यानी उस समय विरोधी विचारो के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे समय में अरस्तू ने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और मॉबोक्रेसी में जो फर्क दुनिया के सामने रखा वो आज भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से एक मिसाल है।

अरस्तू ने लोकतंत्र की जिस रीढ़ के बारे में बात की वो और कुछ नहीं सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसे की बुनियाद पर टिका था। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्रिक व्यवस्था में अगर लोक यानी जनता का विश्वास अपने सिस्टम पर से उठ जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है। भारत के संदर्भ को लेते हैं। बात लोकतंत्र के चार बड़े स्तंभों से शुरू करते हैं। सैद्धांतिक बातों से अलग यहां बात सरकार, अदालत, समाज और मीडिया को लोकतंत्र के चार स्तभों के रूप में देखते हुए शुरू करते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को हमने सरकार का नाम दिया है और चौथे स्तंभ के रूप में समाज को स्थान दिया है।

अरस्तू ने लोकतंत्र की जिस रीढ़ के बारे में बात की वो और कुछ नहीं सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसे की बुनियाद पर टिका था। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्रिक व्यवस्था में अगर लोक यानी जनता का विश्वास अपने सिस्टम पर से उठ जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है।

सरकार की विश्वसनीयता का संकट

सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी एजेंसियां, चुनावी प्रणाली सभी कुछ शामिल है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सभी ने सिस्टम के एक अंग के रूप में अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है? ऐसी नौबत कैसे आ गई कि प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक किसी की भी बात भरोसे के काबिल नहीं रह गई। शक के दायरे में है। प्रधानमंत्री की घोषणाओं की विश्वसनीयता पर शक होना भी लाजमी है। उन्हीं के मंत्री उसे जुमला बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी से लेकर, किसानों की आय़ दोगुनी करने, नमामि गंगे, रोजगार और उद्योग को लेकर जितने दावे जनता के बीच किए, उनका क्या हुआ ? सोचिएगा, विश्वास का संकट पैदा होने की वजह है।

सरकारी एजेंसियां सरकार के इशारे पर विरोधियों की नकेल कसने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की साख अपने निम्नतम स्तर पर है। इन एजेंसियों के मामले आदालतों में जाकर खारिज हो जाते हैं। पिछले एक दशक में ईडी जैसी संस्था के सिर्फ 2 प्रतिशत मामले ही कनविक्शन तक पहुंच पाए। यह भी देखा जा रहा है कि, कल तक जो राजनेता भ्रष्टतम लोगों में गिने जाते थे, जैसे ही वे सत्तारूढ़ दल में शामिल हुए वे दूध के धुले हो गए। अजित पवार और हेमंता बिस्वशर्मा जैसे नेता इसके उदाहरण हैं।

ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता नेता अरविंद केजरीवाल, सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस तैयार किया। सतेंद्र जैन तो दो साल के करीब जेल में रहे लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई सबूत

ही नहीं पाया गया। केजरीवाल और मनीष भी काफी समय जेल में रहे लेकिन उनके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्यों ? क्या यह विरोधी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं है? आखिर ऐसे उदाहरणों के सामने कैसे कोई इस सिस्टम पर भरोसा कर सकता है? सवाल यहां भी सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उठता है। चुनाव आयोग वैसे तो एक संवैधानिक संस्था है लेकिन पिछले दशक में चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है उसकी साख को बट्टा लगा है और उस पर भरोसे का तो सवाल ही नहीं उठता। आम जनता भी चुनाव आयोग जैसी संस्था को मौजूदा स्वरूप में विश्वास के योग्य नहीं मानती। चुनाव आयोग का काम देश में निष्पक्ष चुनावों का संचालन करना है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ईवीएम पर सवाल नया नहीं है। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ही सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी मशीनरी और वोटर लिस्ट को लेकर ठोस सबूतों के साथ सवाल उठाए लेकिन चुनाव आयोग ने इसके जवाब में जितनी बेवकूफी भरे तर्क दिए उससे उसकी रही सही साख भी जाती रही। यहां भी सवाल लोकतांत्रिक मशीनरी के अंग की विश्वसनीयता का है। इस देश में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का दौर हुआ करता था। नौकरशाह नियमों के तहत काम करते हुए राजनेताओं के उल्टे-सीधे कामों पर लगाम भी लगाते थे। आज हालात क्या हैं? राजनेताओ के साथ उनकी मिलीभगत के उदाहरण सबके सामने है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें। यहां पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी कांवरियों पर पुष्प वर्षा जैसे काम कर रहे हैं।आप ऐसे अफसरों से किस तरह के कमिटमेंट की उम्मीद करते हैं। ये इतने बेहया हैं कि इन्हें न तो अपनी वर्दी की कोई फिक्र है न ही अपने दायित्वों की फिक्र। संभल का एक डीएसपी अपनी सांप्रदायिक सोच का खुलेआम इजहार करता है और सरकार से उसे बाकायदा संरक्षण दिया जाता है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सवाल फिर से लोकतंत्र पर भरोसे के संकट का है।

ऐसा नहीं है कि मीडिया पर सराकर का प्रभाव पहले की सरकारों के दौर में नहीं रहा। पहले भी सरकारी दबाव होता था लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। सरकार को जो चीजें सूट नहीं करतीं उसे ब्लैकआउट कर देना शायद पहले संभव ही नहीं था। मीडिया इस हद तक बिकाऊ और बेहया नहीं था।

अदालतों की विश्वसनीयता पर सवाल

देश में कई ऐसे मौके आए जब अदालतों के रुख ने लोकतंत्र को सहारा दिया। ऐसे भी मौके आए जब अदालती रुख ने लोकतंत्र के इस स्तंभ पर सवाल पैदा किए। कहा जाता है जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब वो अदालतों का रुख करता है क्योंकि उसकी निगाह में अदालतों से उसे इंसाफ की उम्मीद रहती है। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिला कि तमाम मामलों में अदालती रुख ने इसकी विश्वसनीयता को शक के दायरे में ला खड़ा किया। ऐसा देखा गया कि वरिष्ठ जज कई अहम मसलों पर सुनवाई से बचते हैं। फैसलों को टाला जाता है और राजनीतिक संदेशों की प्रतिध्वनि उनके फैसलों में देखने को मिलती है। हाईकोर्ट के फैसलों की तो बात ही निराली है। कहीं बिल्कीस बानो के बलात्कारियों को अच्छे चाल-चलन पर रिहा कर दिया जाता है तो कहीं राम रहीम को चुनावी मौसम में बेल पर बेल मिलती है। हाईकोर्ट का सिटिंग जज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाता है और देश के मुख्य न्यायाधीश की पत्नी भी ऐसे ही कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। हाईकोर्ट के एक जज के घर से कमरा भर के पैसा बरामद होता है एवं सत्तारूढ़ पार्टी की प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है। क्या ऐसे जजों की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए? ऐसी घटनाएं एक निष्पक्ष एवं संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाती हैं, या नहीं ?

मीडिया भरोसे के काबिल नहीं रहा

कुछ महीनों पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुख्यधारा के मीडिया ने जिस तरह की फर्जी खबरें चलाईं उससे उसकी जगहंसाई हुई। ऐसे मामलों में सरकार की चुप्पी

न्यायपालिका को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं, मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, समाज का आपसी भरोसा टूट चुका है। इसका फायदा कौन उठा सकता है, जाहिर है, जिसे समस्याओं का जवाब देना है। अपनी जिम्मेदारी से भागना हो तो मीडिया की विश्वसनीयता खत्म कर दो ताकि वो कल को कोई सही बात भी करे तो जनता उस पर शक करे।

और उनका खंडन नहीं करना और ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया पर सरकार का प्रभाव पहले की सरकारों के दौर में नहीं रहा। पहले भी सरकारी दबाव होता था लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। सरकार को जो चीजें सूट नहीं करतीं उसे ब्लैकआउट कर देना शायद पहले संभव ही नहीं था। मीडिया इस हद तक बिकाऊ और बेहया नहीं था। सरकार ने जिस तरह से मीडिया संस्थानों के विज्ञापनों को केंद्रित करके रखा है उससे उनके आर्थिक हितों पर असर पड़ता है और वे सरकार के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करते हैं। जिन लोगों ने मुंह खोला उनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है ही। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया की विश्वसनीयता का होना बहुत बड़ी चीज़ है। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने प्रेस पर घोषित तौर पर सेंसरशिप लगा रखी थी लेकिन फिर भी इंडियन एक्सप्रेस और कई दूसरे अखबारों ने विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। आज हालात क्या है ? शाम को चैनलों पर मुर्गे लड़ाए जाते हैं। कौन सा एंकर या एंकरनी क्या सवाल करेगा या करेगी पहले से जाना जा सकता है। इसके साथ ही पत्रकारों के नाम पर पक्षकार बहस में भाग लेते हैं कोई सत्तारूढ़ दल का समर्थक होगा तो कोई विरोधी। अब पत्रकारिता नहीं पक्षकारिता का दौर है। कुछेक स्वतंत्र प्लेटफॉर्मों को छोड़ दें तो मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है या कहें तो खत्म कर दी गई है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।

समाज में विश्वसनीयता का संकट

भारत में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, वर्ग और संस्कृतियों के लोग एकसाथ रहते आए हैं। मोटेतौर पर सभी एकदूसरे का सम्मान करते रहे हैं। बाबरी विध्वंस जैसी घटनाएं भी देश ने देखी, स्वर्ण मंदिर पर हमले को भी झेला। इन घटनाओं के राजनीतिक परिणाम भी देश ने देखे और उससे उबर भी गया। लेकिन पिछले 10- 12 सालों में जिस तरह से देश में सांप्रदायिक माहौल को हवा दी जा रही है और प्रशासन एवं पुलिस की जिस तरह की भूमिका सामने आई है उससे समाज में अविश्वास एवं दहशत का माहौल बना है। कल तक साथ रहने वाले लोग एक -दूसरे को शक से देखने लगे हैं। इस शक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए और हवा दी जा रही है। यह बात सिर्फ किसी एक संप्रदाय तक सीमित सीमित नहीं है बल्कि समाज में लगभग सभी धर्मों के बीच देखने में आ रही है। लोकतंत्र के लिए समाज में विश्वसनीयता का संकट, संभव है राजनीतिक दलों को सूट करता हो, उनके निकम्मेपन पर पर्दा डालने का काम करता हो, लेकिन यह स्थिति एक देश और समाज के रूप में लोकतंत्र पर बहुत भारी खतरे का अंदेशा है।

भीड़तंत्र या लोकतंत्र ?

सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात किसके लिए फायदेमंद हैं ? बहुत साफ है, हालात को देखिए, न्यायपालिका को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं, मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, समाज का आपसी भरोसा टूट चुका है। इसका फायदा कौन उठा सकता है, जाहिर है, जिसे समस्याओं का जवाब देना है। अपनी जिम्मेदारी से भागना हो तो मीडिया की विश्वसनीयता खत्म कर दो ताकि वो कल को कोई सही बात भी करे तो जनता उस पर शक करे। न्यायपालिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर दो ताकि उस पर उंगली उठाई जा सके। समाज को एक दूसरे को लेकर शंकालु बना दो ताकि वो एकजुट होकर सवाल न पूछ सके। सोचना होगा कि हमें लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ना है या फिर एक भीड़तंत्र में तब्दील होना है। लोकतंत्र में भरोसा ही व्यवस्था का आधार होता है अगर वही खत्म हो गया तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं हम-आप भी होंगे।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादकीय निदेशक हैं

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

दूध, मावा, मिठाई खाएं पर जरा संभल कर

नवरात्रों के साथ देश भर में त्यौहारों और शादियों का मौसम शुरू हो चुका है। इस दौरान मिठाइयों एवं तरह-तरह के व्यंजनों का बाजार भी खूब गरम रहता है। इस उत्सवी माहौल में खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार भी खूब फलता-फूलता है। खाद्य संरक्षा विभाग से जुड़ी टीमें इस दौरान मिलावटी सामानों की पकड़के लिए छापेमारी करती हैं लेकिन फिर भी मिलावट के इस विशाल कारोबार पर प्रभावी रोक नहीं लग पाती।

ग्रामीण उपभोक्ता ने अपने पाठकों को जागरूक करने के लिए इस दौरान खपत में ज्यादा आने वाले सामानों का लैब टेस्ट किया और यह बताया कि घर पर ही किस तरह से असली और नकली खाद्य पदार्थ की जांच की जा सकती है।

- **त्यौहारों और शादियों के सीजन में मिलावटखोरों की चांदी**
- **उपभोक्ता की सेहत पर भारी मिलावटी कारोबार**

सबसे पहले ये समझिए कि किस चीज में क्या मिलाया जाता है :

- वनस्पति तेल- जानवरों की चर्बी और दूसरी तरह की चर्बी।
- घी- नारियल, पोस्ता, कुसुम के बीज का तेल, वैसलीन, चर्बी, शकरकंद, आलू या अरबी, सड़े हुए घी के साथ थोड़ा सा दूध या दही, खुशबू के लिए एसेंस।
- मक्खन- वनस्पति घी, सोरगांजा का तेल, वैसलीन, मोम, हाइड्रोजनेटेड चर्बी, जानवरों की चर्बी।
- धनिया पाउडर- सूखे गोबर और लकड़ी का बुरादा, घोड़े की लीद का सूखा पाउडर।
- गेहूं का आटा- सफेद चाक का पाउडर, चूना आदि ।
- मैदा- अरारोट।
- दूध- पानी, सर्फ, यूरिया, कास्टिक सोडा, साबुन, स्टार्च, सेपरेटा, रिफाइंड तेज, सिंघाड़े का आटा।
- आइसक्रीम- कृत्रिम मीठा, वॉशिंग पाउडर, सिंघाड़े का आटा, प्रतिबंधित रंग, जेली बनाने वाला सामान।
- क्रीम- जानवरों की चर्बी।
- अरहर- खेसारी दाल, बाखला।
- बेसन- खेसारी का आटा, मक्के का आटा।
- आरारोट- पिसा हुआ चावल, भूटा, आलू का मैदा
- चाय- खराब चाय, चमड़े का बुरादा और अन्य पत्तियां
- सरसो का तेल- सोरगांजा, बिनोला, तिल, ब्लूमलेस नामक कैरोसिन तेल
- शहद- रंग, चीनी, चाशनी, जिलोटीन नाम का एक मांसाहारी पदार्थ
- सब्जी मसाला- स्टार्च, कोलतार की डाई

- हल्दी पाउडर- पीली मिट्टी, स्टार्च, चाक पाउडर, रंगा गुआ बुरादा

क्या है असली तस्वीर ?

त्यौहार यानी खुशियां और खुशियां यानी जी भरकर मनपसंद खाना-पीना। इतना तो ठीक है लेकिन यदि यही मनपसंद खाना-पीना शुद्ध न हो तो जी का जंजाल बन सकता है। पेट खराब होना तो आम समस्या है लेकिन यह किसी बड़ी बीमारी का भी कारण बन सकता है। त्यौहारों के सीजन में तो खासतौर पर कुछ खाद्य पदार्थ (दूध, देसी घी, मावा आदि) की शुद्धता का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है।

मिलावट करने वालों की यूं तो हर मौसम में ही चांदी होती है लेकिन त्यौहार का मौसम तो उनके लिए सबसे बढिया सीजन होता है क्योंकि यही ऐसा वक्त होता है जब सभी लोग अपने-अपने में मगन होते हैं और सबको अच्छे

दूध का दूध, पानी का पानी

से अच्छा सामान घर ले जाने की जल्दी भी होती है। दुकानों पर भीड़ होती है इसलिए कोई चाहे तो भी दुकानदार से इस बारे में शिकायत नहीं कर सकता। ऐसे में ज्यादातर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों पर मिलावट का ग्रहण लग जाता है। त्यौहारों में हमारे देश में मिठाई की खास जगह होने की वजह से मिठाई और ऐसा सामान जिससे मिठाई बनती है खास तौर पर प्रभावित होता है। दूध, शहद, मावा, घी, खाद्य तेल इत्यादि में इस तरह मिलावट की जाती है कि मिलावट वाले खाद्य को देखकर या खाकर कोई समझ नहीं सकता कि यह शुद्ध नहीं है। मिलावटी खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लकवा तथा ट्यूमर जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां भी शरीर को घेर सकती हैं। खाद्य पदार्थों को प्रयोग करने से पहले ही अगर उनकी जांच कर ली जाए तो बेहतर होगा। आप बीमारियों से बचने के साथ-साथ बिना किसी शंका के त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मना सकते हैं।

खाद्य पदार्थों में करें मिलावट की जांच

दूध में मिलावट

दूध में साधारणतया पानी की मिलावट की जाती है। यदि पानी शुद्ध हो तब तो बड़ी बात नहीं है लेकिन यदि पानी की जगह यूरिया, रंग या वाशिंग पाउडर की मिलावट हो तब इसे पीकर या इससे बने खाद्य पदार्थ खाकर अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति भी जल्दी ही बीमार पड़ सकता है। दूध में सामान्यतः पानी, सप्रेटा, स्टार्च की मिलावट हो सकती है। पानी की मिलावट की जांच लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। इसकी रीडिंग 28 से 34 होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग 28 से नीचे जाती है तो पानी की मिलावट प्रमाणित हो जाती है। ऐसे में मिलावट करने वाले लैक्टोमीटर की रीडिंग बढाने के लिए दूध में यूरिया, चीनी, वाशिंग पाउडर, और यहां तक कि ईजी, शैम्पू, रिफाइंड आयल, डिटर्जेंट, सोडा आदि भी मिला देते हैं। इसकी जांच करने के लिए दूध में आयोडीन मिलाकर गरम करें। अगर दूध का रंग नीला हो जाता है तो इसका अर्थ है कि दूध में स्टार्च मिलाया गया है। यूरिया,डिटर्जेंट इत्यादि मिले घटिया दूध की जांच के लिए दूध में बराबर मात्रा में एल्कोहल मिला कर देखें। अगर यह फट जाता है तो यह दूध घटिया किस्म का है। इसी तरह किसी चिकनी या पॉलिश की गई खड़ी सतह पर दूध की एक बूंद गिराएं। यदि बूंद धीरे-धीरे नीचे गिरे और सफेद निशान छोड़े तो साफ है कि मिलावट नहीं है।

देसी घी या मक्खन में मिलावट

देसी घी या मक्खन में आमतौर पर चर्बी या वनस्पति घी की मिलावट की जाती है जो स्वास्थ्य संबधी अनेक विकारों को जन्म देती है। देसी घी में मिलावट की जांच करने के लिए 10 सीसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक चम्मच चीनी मिलाएं तथा इस मिश्रण में 10 सीसी देसी घी या मक्खन मिलाएं। इसे अच्छी तरह हिलाएं। यदि इस मिश्रण का रंग लाल हो जाता है तो देसी घी या मक्खन में मिलावट है यदि मिश्रण का रंग नहीं बदलता तो यह एकदम शुद्ध है।

मावा यानी खोये में मिलावट

दूध को गाढ़ा करके मावा बनता है इसलिए इसको जांचने के लिए दूध वाले उपाय ही किये जा सकते हैं।

यूं तो आमतौर पर मावा का भार बढ़ाने के लिए स्टार्च की मिलावट की जाती है। मावा में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए इसकी थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर इस मिश्रण को उबालें। फिर इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। यदि नीले रंग की परत दिखे, तो साफ है कि उसमें स्टार्च मौजूद है।

दूध का दूध, पानी का पानी

खाने के तेल में मिलावट

खाने के तेल में सामान्यतया आर्जीमोन की मिलावट की जाती है जो पेट के लिए काफी हानिकारक होता है। इसको जांचने के लिए तेल के नमूने में गाढ़ा यानी सांद्र नाइट्रिक एसिड मिलाकर मिश्रण को खूब हिलाएं। थोड़ी देर बाद मिश्रण में अगर लाल-भूरे रंग की परत दिखाई दे, तो यह आर्जीमोन की मौजूदगी का संकेत है।

चांदी के वर्क में मिलावट

मिठाई पर चढ़े चाँदी के वर्क में एल्युमिनियम धातु की मिलावट की जा सकती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चांदी के वर्क में एल्युमिनियम की मिलावट की आसानी से जांच की जा सकती है। चांदी के वर्क को जलाने से वह उतने ही भार की छोटी-सी गेंद के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि यह वर्क मिलावटी है तो इसे जलाने के बाद गहरे सलेटी रंग का अवशेष बच जाता है।

केसर-असली या नकली

केसर में मिलावट नहीं होती, बल्कि पूरी केसर ही बदल दी जाती है। असली और नकली केसर की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। नकली केसर मकई के टुकड़े को सुखाकर, इसमें चीनी मिलाकर कोलतार डाई से बनाया जाता है। नकली केसर पानी में डालने के बाद रंग छोड़ने लगता है जबकि असली केसर को पानी में घंटों रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलावटी पदार्थों से बचने और असली-नकली की पहचान के लिए गृहणियों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।

FSSAI के एप पर करें शिकायत

खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत अब मोबाइल एप पर की जा सकेगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने यह एप जारी किया है। इसे एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसी के साथ एफएसएसएआई ने शिकायत के लिए वॉट्सएप नंबर 09868686868 भी जारी किया है।

कंज्यूमर ग्रीवेंस दूर करने के लिए बने इस एप को 'एफएसएसएआई एप' नाम दिया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस पर पैकेज्ड फूड और होटल रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले 'रेडी टू ईट फूड' की शिकायतें की जा सकेंगी। यह शिकायतें सीधे एफएसएसएआई के पास पहुंचेंगी। वहां से ये राज्यों के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पास आएंगी। यहां से कार्रवाई की एक रिपोर्ट एफएसएसएआई को दी जाएगी। साथ ही शिकायत करने वाले उपभोक्ता को फीडबैक भी दिया जाएगा।

विक्रेता के बारे में होगी जानकारी

खाद्य पदार्थ बेचने वालों को अपने प्रतिष्ठानों पर एक बोर्ड लगाना होगा। जिस पर एप और शिकायती वॉट्सएप नंबर की जानकारी देना होगी। उन्हें अपना खाद्य लाइसेंस नंबर भी बताना होगा। जब उपभोक्ता मोबाइल एप्लीकेशन पर विक्रेता का फूड लाइसेंस नंबर डालेगा तो उससे संबंधित सारी जानकारी उसे एप पर मिल जाएगी। उस विक्रेता के खिलाफ पहले कितनी शिकायतें हुई हैं और क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी कंज्यूमर को मिल जाएगी।

पैरामीटर जानकारी भी मिलेगी

एफएसएसएआई ने यह एप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सही ढंग से पालन करने के लिए जारी की है। इस पर उपभोक्ताओं को उन पैरामीटर की भी जानकारी मिलेगी, जिनके पालन नहीं करने पर खाद्य पदार्थों को सब स्टैंडर्ड या मिलावटी घोषित किया जाता है।

इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखें-

- खुली खाद्य सामग्री न खरीदें
- सीलबंद या डिब्बाबंद उत्पादों की सील हमेशा चेक करें और मानक प्रमाण चिह्न (एगमार्क, एफ.पी.ओ., हॉलमार्क) देखकर ही खाद्य सामग्री खरीदें।
- अगर आप भी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके त्यौहार सिर्फ इस सीजन में ही नहीं बल्कि पूरे साल आपको खुशियां देते रहेंगे।

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

जब तकनीक और प्रकृति हों साथ, तब हम कहलाते हैं

प्रगति की खाद

पंकज कुमार सिंह

फलों-सब्जियों के इस 'रासायनिक' बाजार से हो जाएं सावधान

भारत में फल - सब्जियां हर उपभोक्ता के आहार का आवश्यक हिस्सा होती हैं और स्वास्थ्य व जागरूकता के बढ़ते स्तर के साथ उपभोक्ता इनका सेवन और भी विविध व संगठित रूप में कर रहे हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 के अनुसार भारत के ग्रामीण-क्षेत्र में सब्जियों पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय लगभग 240 से 260 रुपए के बीच है वहीं शहरी-क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय लगभग 250-280 रुपए के बीच बताया गया है।

बदलती जीवनशैली, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और जागरूकता के कारण भारतीय उपभोक्ताओं में सब्जी खाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। पोषण अभियान और Eat Right India जैसी योजनाएं लोगों को संतुलित आहार और सब्जियों के महत्व के प्रति प्रेरित कर रही हैं। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता धीरे-धीरे अधिक हरी सब्जियां अपनाने लगे हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में ताज़ा फलों और सब्जियों का सेवन करने वाले घरों की संख्या 63.8% (2011) से बढ़कर 90.3% हो गई है। शहरी इलाकों में भी बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 76% घर 2011-12 में ताज़े फल और सब्जियां खा रहे थे, अब 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 94.1% हो गया है।

भारत में फल और सब्जी उत्पादन सिर्फ पोषण सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी करता है। कुल कृषि उत्पादन का लगभग 32-34% हिस्सा फल-सब्जियों से आता है। अनुमान है कि बागवानी क्षेत्र से 2 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। करोड़ों छोटे और सीमांत किसान फल व सब्जी की खेती करते हैं।

भारत फल और सब्जी उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का वैश्विक फल उत्पादन में योगदान 12% और सब्जियों में 15% है। फल व सब्जी बाजार का मूल्य 2025 में लगभग 48.8 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है, और यह 2031 तक 5.1% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 65.79 अरब अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की सिफारिश के अनुसार, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 400 ग्राम फल व सब्जी (मिलाकर) खाना चाहिए। भारत में सब्जी और फल की औसत वास्तविक खपत 250 से 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ही है, जो की आवश्यकता से कम है ।

- कीटनाशक और उर्वरक बने जानलेवा
- घातक बीमारियों की चपेट में उपभोक्ता
- मुनाफे की आस में फंसा किसान

फल-सब्जी उत्पादन प्रक्रिया से बीमारियां बढ़ी

बाजार की आपूर्ति के लिए सब्जियों की उत्पादन प्रक्रिया में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग भले ही किसान के लिए आसान और उत्पादन बढ़ाने वाला हो, लेकिन इस तरह की खेती से गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से न केवल मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बल्कि जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। सब्जियों में बचे रासायनिक अवशेष मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन रहे हैं, जो कैंसर, हार्मोन असंतुलन और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा, जैव विविधता प्रभावित हो रही है और किसान महंगे रसायनों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

मुनाफे के लालच में उपभोक्ताओं को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दी जा रही है । भारत में जिस एथलीन गैस से आम, केला, पपीता आदि को पकाने की मंजूरी है वह सिस्टम राइपनिंग चेंबर कहलाता है। राइपनिंग चेंबर में

निश्चित पैमाने पर एथिलीन गैस से फलों को सुरक्षित व कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है। 11 क्यूबिक मीटर के चैम्बर में एक हजार किलो फल को पकने में एक लाख रूपये का खर्च आता है। यह प्रक्रिया महंगी होने से व्यापारी जहरीले रसायन का प्रयोग कर फलों को पकाते हैं। भारत में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत फल-सब्जियों में कीटनाशक और अन्य रसायनिक अवशेषों के लिए मानक स्थापित किये हैं किन्तु इसका पालन न हो कर कानून का खुल्लेआम उलंघन हो रहा है। WHO और FSSAI की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सब्जियों पर अक्सर अनुशंसित सीमा से कई गुना अधिक कीटनाशक पाए जाते हैं। फल और सब्जी पर कीटनाशक अवशेष लंबे समय तक बने रहते हैं । सब्जियों की खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। देश में 100 से भी ज्यादा प्रतिबंधित कीटनाशक खुलेआम बिक रहे हैं।

कीटनाशकों का असर सबसे ज्यादा सब्जियों पर

लंबे समय से, किसान फसलों पर लगने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक और सामान्य तरीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन बढ़ती मांग और वर्षों से मिट्टी की खराब गुणवत्ता के कारण, अब किसान कीटनाशकों और उर्वरकों के आदी हो गए हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल से सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। कीटनाशक सब्जियों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाते हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल के कई तरीके हैं, लेकिन किसानों द्वारा सीधे छिड़काव ही दूषित उपज का मुख्य स्रोत है।

सबसे अधिक कीटनाशक और कीटनाशक अवशेषों वाली सब्जियां

FSSAI के एक अध्यन में पाया गया है कि कुल 12,821 सब्जी नमूनों में से 18.7% में कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। इनमें से केवल 1.9% नमूनों में कीटनाशकों के अवशेष FSSAI द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक थे। सबसे अधिक क्लोरपाइरीफॉस, सायपरमेथ्रिन, एंडोसल्फान और डीडीटी के अवशेष सब्जियों में मिलते हैं। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) के अनुसार, थोक और खुदरा बाज़ारों में बिकने वाली सब्ज़ियों में 40 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक अवशेष पाए जाते हैं जो स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा कीटनाशक अवशेष भिंडी, पालक, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, आलू, मूली, टमाटर, तीखी मिर्च और केले में पाए जाते हैं।

रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों में फंसा है किसान

सब्जियों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किसान की मजबूरी बन गई है क्यूंकि बाजार में ताज़ी, चमकदार और अधिक मात्रा वाली सब्जी बिकती है। रासायनिक खाद और दवाइयों से फसल दिखने में बेहतर लगती है, जिससे बाजार में अच्छा दाम मिलता है। किसान रासायनिक आधारित खेती के हानिकारक परिणाम से अच्छी तरह अवगत हैं लेकिन उन्हें जल्दी उपज और नकद की जरूरत होती है, इसलिए वे रासायनिक खेती पर निर्भर रहते हैं। वाराणसी के किसान सतीश पटेल कहते हैं कि, 'बाजार में हरी और चमकदार सब्जियां आसानी से अच्छे दाम पर बिक जाती हैं जिसके उत्पाद के लिए रासायनिक दवाओं कि जरूरत होती है। स्वयं

रसायन युक्त खेती का एक मात्र विकल्प प्राकृतिक खेती है जिससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है, उत्पादन सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है और साथ ही पर्यावरण और जल स्रोत भी सुरक्षित रहते हैं। खेती की लागत घटती है क्योंकि रसायन कीटनाशक और उर्वरक पर किसान की निर्भरता समाप्त हो जाती है।

के उपभोग के लिए वह अलग खेत में प्राकृतिक खेती आधारित सब्जी का उत्पादन करते हैं।'

यह भी सही है कि, अधिकांश उपभोक्ता यह जानते हैं कि सब्जी उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग होता है, परंतु उन्हें इनके लंबे समय तक स्वास्थ्य पर प्रभाव की स्पष्ट जानकारी कम होती है।

प्राकृतिक खेती है विकल्प

रसायन युक्त खेती का एक मात्र विकल्प प्राकृतिक खेती है जिससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है, उत्पादन सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है और साथ ही पर्यावरण और जल स्रोत भी सुरक्षित रहते हैं। खेती की लागत घटती है क्योंकि रसायन कीटनाशक और उर्वरक पर किसान की निर्भरता समाप्त हो जाती है। रसायन संसाधन के जगह प्राकृतिक संसाधनों, जैविक खाद, गोबर, हरी खाद, का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जाता है ताकि कृषि टिकाऊ, सुरक्षित और लाभकारी बने। वाराणसी के सब्जी किसानों के साथ प्राकृतिक खेती पद्धति के लिए कार्यरत संस्था ईको प्रिज्म कलेक्टिव फाउंडेशन के परियोजना संयोजक संजय पटेल बताते है कि, 'प्राकृतिक खेती पद्धति किसानों के लिए आसान तथा शून्य बजट की खेती है, परन्तु इसमें उत्पादन कम होने की वजह से किसान इसे अपनाने के लिए तभी तैयार होते है जब उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिलने की गारंटी होती है।'

उपभोक्ता संरक्षण प्रावधान

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य सुरक्षा के लिए प्राथमिक नियामक संस्था है जिसमें बिना पैकेज वाले फल और सब्ज़ियां भी शामिल हैं। यह संस्था स्वच्छ एवं ताज़ा फल एवं सब्ज़ी बाज़ार पहल के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों को उन्नत बनाने, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों और रसायनों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) निर्धारित करती है। बाजार में स्वच्छ एवं गुणवत्ता उत्पाद की बिक्री हो इसके लिए विक्रेता प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। पैक किए गए फलों, सब्जियों पर उत्पादन क्षेत्र, ग्रेडिंग और रसायन रहित/ऑर्गेनिक टैग अनिवार्य किए जाते हैं। ऑर्गेनिक प्रमाणन लाइसेंस जैविक तरीके से उगाई गई फसलों को विशेष प्रमाण पत्र मिलता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षित विकल्प चुन सकें। यदि कोई विक्रेता इन मानकों का उल्लंघन करता है या अस्वास्थ्यकर उत्पाद बेचता है, तो उपभोक्ता FSSAI या उपभोक्ता मंचों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के अंतर्गत भी उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित उत्पाद बाजार में प्राप्त हो इनके लिए विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पोर्टल के माध्यम से या टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके ताज़ी उपज सहित असंतोषजनक या असुरक्षित वस्तुओं के बारे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

बाजार की आपूर्ति के लिए सब्जियों की उत्पादन प्रक्रिया में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग भले ही किसान के लिए आसान और उत्पादन बढ़ाने वाला हो, लेकिन इस तरह की खेती से गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से न केवल मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बल्कि जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

जीवन ज्योति

जैविक खेती: कमाई और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद

- जैविक खेती की भारी मांग
- सरकार भी दे रही है जैविक खेती को बढ़ावा
- स्वस्थ खेत तो स्वस्थ अनाज
- गांव के संसाधन ही करेंगे खाद का काम

ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका लगातार खेती-किसानी से संबंधित ऐसी जानकारियां अपने पाठकों तक पहुंचाती रहती है जो एक उत्पादक के रूप में और फिर एक उपभोक्ता के रूप में उनके लिए फायदेमंद हो। इस सिलसिले में पत्रिका के इस अंक में हम किसानों को जागरूक करने के लिए जैविक खेती की चर्चा करेंगे।

जैविक खेती किसे कहते हैं?

खेती का वो रूप जो प्रकृति के साथ तालमेल बना कर चलता है और उत्पादन के काम में किसी भी तरह प्रकृति के विरुद्ध तौर-तरीके नहीं अपनाता उसे ही साधारण शब्दों में जैविक खेती के रूप में समझा जा सकता है। जैविक खेती आज आधुनिक खेती का पर्याय बन चुकी है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दुनिया में खेती में लगातार रासायनिक खादों का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण फसल पैदावार में रासायनिक तत्वों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और उस अनाज से भोजन इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। यही नहीं रासायनिक खादों के इस्तेमाल से भूमि भी खराब होती है और लंबे समय तक उनका इस्तेमाल जमीन को बंजर बना देता है। यहां हम ये भी साफ करना चाहते हैं कि जैविक खेती का कतई ये मतलब नहीं है कि हम केवल पारंपरिक तरीके ही अपनाएं। बल्कि हम पारंपरिक तरीकों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रयोग में लाएं तो जैविक खेती सही और अच्छे नतीज़े देती है। जैविक खेती में किसान अपने खेतों को प्रकृति पर छोड़ने के बजाए खुद ही आधुनिक तकनीक को प्रयोग करके प्रकृति और खेती के बीच स्वस्थ संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए अब धीमे - धीमे जैविक खेती के रूप में परंपरिक खेती का दौर फिर से शुरू हो रहा है। सरकार भी जैविक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैविक खेती में कृषि भूमि की संरचना और उसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस प्रक्रिया की जरूरत होती है-

खेत की मिट्टी की सेहत और उसे उपजाऊ बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए

फसल के कचरे और पशु खाद का पुनर्नवीनीकरण करना

जैविक खेती में हमें काफी कुछ उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करना होता है जो हमें आसानी से आसपास ही मिल जाते हैं। फसल की कटाई के बाद बचा अवशेष आमतौर पर किसी काम का नहीं समझा जाता। ऐसा है नहीं। जैविक खेती में हम फसल के इस कचरे का इस्तेमाल खेत को उपजाऊ बनाने के काम में करते हैं। इसी तरह से पशुओं से मिले गोबर का भी जैविक खेती में उर्वरता के लिए किया जाता है।

खेतों की सही समय पर जुताई करना

जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण है समय से खेतों की जुताई ताकि मिट्टी को धूप और ऑक्सीजन की सही मात्रा मिल सके और वो अपनी उर्वरता को बरकरार रख सके।

फसल का चक्रीकरण

जैविक खेती में सबसे जरूरी है फसलों का एक ऐसा चक्र तैयार किया जाए ताकि एक फसल दूसरे के लिए मुश्किलल न पैदा करे बल्कि उसके उत्पादन में सहायक बने।

हरी खाद और फलियां

जैविक खेती में भूमि की उर्वरता के लिए हरी खाद और फलियां भी काफी मददगार होती हैं। जैसे कि नीम की कौड़ी जैविक खेती में कीटनाशक और खाद दोनों ही तरह से इस्तेमाल हो सकती है।

मिट्टी की सतह पर पलवार डालना

जैविक खेती में एक और महत्वपूर्ण काम है जमीन को खेती के लिए पहले ही तैयार कर लेना। इसी क्रम में खेत में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध और तमाम ऐसे संभव तरीके आजमाए जाते हैं जिनसे बेहतर उत्पादन के साथ खेत की उर्वरता को बनाए रखा जा सके।

फसल में कीड़ों और बीमारियों पर नियंत्रण के लिए

- सही फसल का चुनाव
- प्रतिरोधी फसलों का उपयोग
- खेती के सही तकनीकों का प्रयोग
- फसल का चक्रीकरण
- कीट खाने वाले शिकारियों को बढ़ाना
- आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना
- प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग

इसके अलावा जैविक खेती के लिए कुछ दूरी चीजों की भी जरूरत है जैसे कि खेती में बेहतर जल का इस्तेमाल और अच्छा पशुपालन।

जैविक खेती से लाभ?

मिट्टी को होने वाले लाभ

- जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है

किसानों को होने वाला लाभ

- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृध्दि हो जाती है
- सिंचाई अंतराल में वृध्दि होती है
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है
- फसलों की उत्पादकता में वृध्दि होती है
- उत्पादन बढ़ता है तो मुनाफा और कमाई में वृद्धि

पर्यावरण को लाभ

- भूमि के जल स्तर में वृध्दि हो जाती है
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषणों मे भी

काफी कमी आ जाती है

- कचरे का प्रयोग खाद बनाने में करने से बीमारियों में कमी आती है
- फसल उत्पादन की लागत में काफी कमी हो जाती है और आय में वृध्दि होती है

जैविक खेती ही क्यों?

पाठकों अब हम आपको बताएंगे कि जैविक खेती ही क्यों आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज हमारे देश में लगभग 65 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। जिस हिसाब से खेती की जमीन कम होती जा रही है उस हिसाब से आने वाले समय में अनाज की उपलब्धता और खेती की भूमि एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने होंगे। बढ़ती आबादी के हिसाब से अनाज की पैदावार को बढ़ाना भी एक चुनौती से कम नहीं। इसी वजह से रासायनिक खादों का चलन तेजी से बढ़ा और हम पारंपरिक खेती से दूर होते गए। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से जहां उत्पादन बढ़ा वहीं खेती की भूमि पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा। खेत के खेत बंजर हो गए और किसान बेहाल। उपज भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो गई।

अब वक्त आ गया है कि जैविक खेती के तौरतरीकों को फिर से आजमाया जाए नए तौरतरीकों यानी तकनीक के साथ मिलाकर। इससे कई तरह के फायदे होंगे-

- खेत की उर्वरता बनी रहेगी
- जैविक खेती के लिए संसाधनो तक आपकी आपकी आसान पहुंच होगी
- जैविक खेती में भूजल भी जहरीला या प्रदूषित होने से बचेगा क्योंकि रसायनों का इस्तेमाल भूमि पर नहीं होगा।
- जैविक खेती में चक्रीय फसल पद्धति के कारण एक फसल दूसरे के लिए लाभदायक होती है
- गांव में मौजूद फसलों के अवशेष और पशुओं के गोबर आदि का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा
- जैविक खेती से उपजा अनाज सेहतमंद होगा
- गांव और खेत का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा
- जैविक खेती से उपजा अनाज आज खूब मांग में है
- जैविक खेती से उपजे अनाज की कीमत भी अच्छी मिल रही है

दिशानिर्देश की 10 खास बातें

- जैविक खेती समय की मांग है
- जैविक खेती वाली उपज की बढ़िया कीमत
- देश में 65 प्रतिशत लोगों की खेती पर निर्भरता
- जैविक खेती से भूमि के साथ अनाज भी सुरक्षित
- जैविक खेती से भूजल के खराब होने का खतरा नहीं
- गांव में मौजूद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल
- गोबर और फसल के अवशेषों से बनेगी खाद
- जैविक खेती से गांव का पर्यावरण सुधरेगा
- जैविक खेती को सरकार से प्रोत्साहन
- जैविक खेती में एक फसल दूसरे की मददगार

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

जागृति

है मेरा नाम ...

उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम ....

जागो ग्राहक जागो

उपभोक्ता शिकायतों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करें।

सुरेश उपाध्याय

प्रकृति ने दिया अल्टीमेटम समझ सको तो बेहतर!

- मुनाफा कमाने के लालच से बर्बाद होते पहाड़
- बारिश में पहाड़ों पर बेहिसाब आपदा
- मूसलाधार बारिश से प्रकृति ने दिया संदेश

पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी में पैसे की हवस पैदा हो जाए और वह लोगों की जिंदगी, समाज और पर्यावरण पर भारी पड़ने लगे तो हालात खतरनाक हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इस देश के नेताओं, अफसरों और पूंजीपतियों के गठजोड़ ने देश में ऐसे ही खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। ये पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, भले ही इसकी भारी कीमत आम जनता को क्यों न चुकानी पड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश ने 2013 की केदारनाथ आपदा से कोई सबक सीखा? नहीं। 2023 की बरसातों में हिमाचल में हुई तबाही से कोई सबक सीखा गया?.जवाब है नहीं। क्या अब धराली और किश्तवाड़ की आपदा से कोई सबक सीखा जाएगा, इसका जवाब भी शायद नहीं ही होगा।

फ्लड एरिया में होटल

धराली में बादल फटा या फिर नदी का बहाव रुकने से आपदा आई, यह स्पष्ट नहीं है। हमारे सैटलाइट भी इस बारे में कोई सूचना नहीं दे पाए। लेकिन खीर गंगा में आई बाढ़ ने धराली में जानमाल का भारी नुकसान कर दिया। यहां 5 अगस्त को नदी में एक के बाद एक बाढ़ की पांच लहरें आईं। नुकसान उन इलाकों में हुआ जो विकास की दौड़ में नदी के किनारे बसा दिए गए। यहां नदी के फ्लड एरिया में बने मकान, होटल और रिजॉर्ट बाढ़ के पानी में तिनके की तरह बह गए। जब यहां नदी में घुसकर मकान, होटल, रिजॉर्ट बनाए जा रहे थे, तब किसी नेता, अधिकारी या मंत्री की नजर इन पर नहीं पड़ी। अब नैनीताल जिले के कैंची धाम में शिप्रा नदी में घुसकर और पहाड़ियों पर बड़े-बड़े होटल रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं और जिले के अफसरों को यह सब नहीं दिख रहा है। ऐसा ही पूरे प्रदेश में हो रहा है।

जुटा दिया है पहाड़ की तबाही का सामान

पिछले दो दशकों से विकास और पर्यटन के नाम पर हिमालयी इलाकों, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही का सामान जुटाया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों के दौरान 50 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र से जंगल काटे जा चुके हैं। इसकी भरपाई का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया जा रहा है। यहां सड़कों को अवैज्ञानिक तरीके से चौड़ा किया जा रहा है। इसके लिए विस्फोट किए जा रहे हैं। नतीजतन पहाड़ कमजोर होते जा रहे हैं और भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पेड़ कम होने से भी मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है।

पिछले दो दशकों से विकास और पर्यटन के नाम पर हिमालयी इलाकों, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही का सामान जुटाया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों के दौरान 50 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र से जंगल काटे जा चुके हैं। इसकी भरपाई का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया जा रहा है। यहां सड़कों को अवैज्ञानिक तरीके से चौड़ा किया जा रहा है।

पर्यटन के नाम पर बर्बादी

पहाड़ में इस समय पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर बड़े-बड़े होटल, रिजाट्र्स और अन्य प्रोजेक्ट्स बना दिए गए हैं। पहाड़ की जमीन इतना बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही बढ़ने से पहाड़ों की जलवायु पर भी असर पड़ रहा है और इससे जो अराजकता फैल रही है, वह अलग है। इस बार भी गढ़वाल में सरकार की ऑल वेदर रोड का जो हाल हो रहा है, वह यह बताने के लिए काफी है कि पहाड़ कितने संवेदनशील हैं और सरकार की नीतियां कितनी घातक हैं। हिमालय का इलाका वैसे भी दुनिया की सबसे नई संरचना है और भूगर्भीय लिहाज से काफी संवेदनशील भी। बावजूद इसके, यहां हजारों

पिछले दो दशकों से विकास और पर्यटन के नाम पर हिमालयी इलाकों, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही का सामान जुटाया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों के दौरान 50 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र से जंगल काटे जा चुके हैं। इसकी भरपाई का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया जा रहा है। यहां सड़कों को अवैज्ञानिक तरीके से चौड़ा किया जा रहा है।

बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं दिया। शिमला में 2023 में कई बहुमंजिला इमारतों के मालिकों को नोटिस दिया गया, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने नक्शा पास होने के बाद ही निर्माण कराया था। वहीं, उत्तराखंड में तो जमीनों की लूट मची हुई है। बाहरी लोग यहां आकर बड़े पैमाने पर निर्माण करा रहे हैं। मुक्तेश्वर, रामगढ़ के इलाके के साथ ही तमाम जगहों पर ऊंची पहाड़ियों तक पर कई-कई मंजिला इमारतें, होटल और रिजॉर्ट बन गए और कोई देखने वाला नहीं है। किसी को यह नहीं दिख रहा है कि पहाड़ इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं हैं। यहां नदी, नालों तक में घुसकर मकान, होटल बनाए जा रहे हैं। पेड़-पौधों का जो नुकसान हो रहा है, वह अलग है।

क्लाइमेट चेंज की चुनौती

भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम इलाकों में क्लाइमेट चेंज बड़ी तबाही लेकर आ रहा है। इसकी वजह से कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं भारी बाढ़, बारिश और गर्मी देखी जा रही है।

हिमाचल में इस साल बरसात शुरू होने के बाद से अब तक 30 जगह बादल फट चुके हैं। हाल के सालों में बादल फटने की बड़ी घटना 2010 में लेह में हुई थी। इसके कारण वहां भारी तबाही हुई। इसके बाद तो देश में अब तक सैकड़ों जगह बादल फट चुके हैं। इससे पहले देश में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई थीं। चीन, अमेरिका, रूस और कई अन्य देशों में भी असामान्य बारिश और भूस्खलन से खासा नुकसान हुआ है। यूरोप के कई देश गर्मी से बेहाल हैं। यानी कि क्लाइमेट में बदलाव पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को प्रयास करने होंगे। विकास और निर्माण नीतियों की समीक्षा करनी होगी।

बेहिसाब डैम्स भी बर्बादी की वजह?

विशेषज्ञ हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं बढ़ने का एक बड़ा कारण यहां बनाए गए बेहिसाब डैम्स को भी मानते हैं। उनका कहना है कि इन डैम्स के कारण पानी के वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ रही है और इलाका ठंडा होने के कारण ये हिमालयी क्षेत्र में ही फट जा रहे हैं। हिमाचल में अब तक 365 डैम्स बना दिए गए हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी बिजली बनाने के नाम पर बड़ी संख्या में डैम्स बना दिए गए हैं।

–लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं

अजय कुमार खुशबू

आज सुनिए, राजस्थान के सूरजगढ़ की कहानी...!

▶ जानिए, सोच बदली तो, कैसे बदल गई किस्मत ▶ किल्लतों से जूझता गांव बन गया एक आदर्श गांव

पंचायत में आज कहानी राजस्थान के झुंझुनू जिले के गाम सूरजगढ़ की। यह कहानी मरुस्थल के बीच बसे गांवों में जिंदगी की जद्दोजहद और फिर उस पर पार पाने की है।

सूरजगढ़ एक समय में पानी की किल्लत, अशिक्षा और बेरोजगारी की समस्या के लिए जाना जाता था। गर्मी के दिनों में गांव के लोग मीलों दूर से पानी लाते थे। बच्चे अक्सर स्कूल छोड़ देते थे और महिलाएं घर की चारदीवारी तक ही सीमित थीं।

लेकिन इसी बीच, गांव में बदलाव की शुरूवात हुई। बदलाव के लिए जरूरी है सबसे पहले सोच में बदलाव। गांव के नए सरपंच चुने गए गोविंद सिंह। उन्होंने सबसे पहले ग्राम सभा बुलाई। चौपाल पर पेड़ के नीचे गांव के सब लोग जुटे।

गोविंद सिंह ने सरपंच बनते ही गांव के लोगों को अपनी समस्या से निपटने के लिए उन्हें प्रेरित करने की ठानी। उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में गांव की समस्याओं से दो-दो हाथ करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि, 'भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर सूरजगढ़ को बदलें। हमें पानी, शिक्षा और रोज़गार पर सबसे पहले काम करना होगा। क्या आप सब तैयार हैं?'

गोविंद सिंह की बातों पर पहले की तरह ही गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। गांव के बुजुर्ग राधेश्याम ने उनको जवाब देते हुए कहा कि, 'बेटा, बातें तो पहले भी हुई हैं, लेकिन काम अधूरा रह जाता है।'

गोविंद सिंह को बुजुर्ग राधेश्याम की बात अखर गई। उन्होंने कहाकि, 'इस बार अधूरा नहीं रहेगा। हर फैसले में सबकी भागीदारी होगी। पंचायत अकेले नहीं, पूरा गांव मिलकर काम करेगा।'

दिलचस्प बात यह रही कि, गांव सभा में पहली बार महिलाओं ने भी खुल कर अपनी बातें और समस्याएं रखीं। महिला प्रतिनिधि समूह से गायत्री देवी ने कहा कि, 'अगर पंचायत हमें सहयोग दे तो हम महिलाएं भी काम करने को तैयार हैं। हमें सिर्फ अवसर चाहिए।'

गांव के लोगों ने सभा में मिलकर पांच संकल्प लिए :

- पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।
- गांव का हर बच्चा स्कूल जाएगा।
- गांव में सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- गांव के हर निर्णय में लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

संकल्प पर कार्यान्वयन

- पंचायत ने मनरेगा योजना से गांव में तालाब और चेक डैम बनवाए। बरसात का पानी अब गांव में ही रुकने लगा। नतीजा, गांव में पेयजल की समस्या के साथ सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होने लगा।
- स्कूल के टीचर अनिल जी ने बच्चों को समझाया कि, 'बच्चों, पढ़ाई ही तुम्हारे गांव की ताकत बनाएगी। अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा।' गांव के सभी बच्चे पढ़ने-लिखने लगे तो उनमें शिक्षा के साथ जिम्मेदारी का भाव भी जागृत होने लगा।
- महिलाओं ने स्वयं-सहायता समूह बनाए। गायत्री देवी और उनकी सहेलियों ने बकरी पालन और कढ़ाई-बुनाई का काम

सूरजगढ़ गांव में बदलाव की शुरूवात हुई। बदलाव के लिए जरूरी है सबसे पहले सोच में बदलाव। गांव के नए सरपंच चुने गए गोविंद सिंह। उन्होंने सबसे पहले ग्राम सभा बुलाई। चौपाल पर पेड़ के नीचे गांव के सब लोग जुटे। उन्होंने सरपंच बनते ही गांव के लोगों को अपनी समस्या से निपटने के लिए उन्हें प्रेरित करने की ठानी।

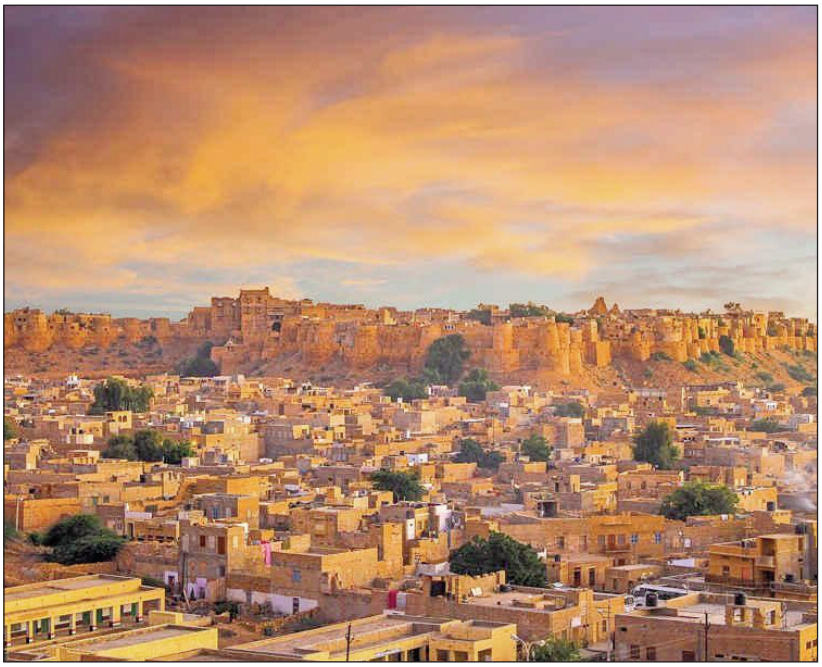

शुरू किया। इसके अलावा गांव की महिलाओं ने और भी कई तरह के काम मिलकर शुरू किए। महिलाओं की कमाई शुरू हुई तो उनमें आत्मनिर्भरता का भाव जागा। घरों में और पैसे आने लगे। समृद्धि आई तो तमाम जरूरतें पूरी होने लगीं।

- पंचायत ने हर घर में शौचालय बनवाए। सरपंच गोविंद सिंह ने कहा कि, 'अब सूरजगढ़ खुले में शौच से मुक्त बनेगा। यह हमारी इ□ और सेहत दोनों की रक्षा करेगा।' हर घर में शौचालय से गांव में स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरत के पूरा होने का भाव भी पैदा हुआ।
- युवाओं ने मिलकर गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला। कंप्यूटर पर काम सीखने लगे। युवाओं के पास अब ज्यादा रोजगार के मौके आने लगे। कंप्यूटर के ज्ञान और प्रशिक्षण से उन्हें बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में आने का बेहतर मौका मिला और अब उनके पास पहले से बेहतर अवसर उपलब्ध थे।

बदलने लगी गांव की तस्वीर

- खेतों में हरियाली लौट आई। किसान अब दो फसलें लेने लगे। उन्हे अपने खेतों से पहले से ज्यादा उपज और पैसे मिलने लगे।
- बच्चों की पढ़ाई के परिणाम आने लगे। सरपंच की बेटी पूजा ने दसवीं कक्षा में ज़िले में टॉप किया। बच्चों ने पढ़ाई की तो जिले में नाम होने लगा। गांव में आगे की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा जाने लगा।
- महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं और घर की आय बढ़ाने लगीं। पति को घर की महिला का साथ मिला तो वे भी अपने काम और उपज को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचने और करने लगे।
- गांव इतना स्वच्छ हुआ कि बाहर से आने वाले लोग तारीफ़ करने लगे। गांव आदर्श बना तो दूसरे गांवों के लिए प्रेरणा बना। दूसरे गांव भी साफ-सफाई, शिक्षा और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए खुद को सक्षम बनाने की ग़ोजना पर काम करने लगे।

आज फिर गांव में सभा बुलाई गई थी। पहली बैठक में नाउम्मीदी की बात करने वाले बुजुर्ग राधेश्याम आज भी मौजूद थे लेकिन उनके सुर बदले हुए थे। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, 'आज मुझे गर्व है कि हमने मिलकर सूरजगढ़ को आदर्श पंचायत बना दिया। यह सब हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है।'

और सूरजगढ़ बन गया दूसरों के लिए प्रेरणा की वजह

आज फिर गांव में सभा बुलाई गई थी। पहली बैठक में नाउम्मीदी की बात करने वाले बुजुर्ग राधेश्याम आज भी मौजूद थे लेकिन उनके सुर बदले हुए थे। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, 'आज मुझे गर्व है कि हमने मिलकर सूरजगढ़ को आदर्श पंचायत बना दिया। यह सब हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है।' गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे और महिलाएं ख़ुशी से झूम उठीं। सूरजगढ़ अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गया। सूरजगढ़ की यह कहानी बताती है कि यदि ग्राम पंचायत और ग्रामीण मिलकर ईमानदारी और मेहनत से काम करें, तो किसी भी गांव को आदर्श पंचायत में बदला जा सकता है। सूरजगढ़ अब न केवल झुंझुनूं ज़िले बल्कि पूरे राजस्थान और देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

डी.के. दुबे

गृहणी के घरेलू कामों को भी आर्थिक पैमाने पर देखने की जरूरतः हाईकोर्ट

हमारे देश में बहुतायत में महिलाएं घर को संभालती हैं और उनके पति घर से बाहर जाकर आजीविका का बंदोबस्त करते हैं। यानी पति को उसके काम के एवज में पैसे मिलते हैं जबकि पत्नी घर को संभालती तो है लेकिन उसकी सेवा की आर्थिक भरपाई का कोई स्थापित पैमाना नहीं है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में एक अहम फैसला सुनाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने परिवार में गृहणियों यानी होममेकर की भूमिका को पहचान देने की बात कही है। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि गृहणियों की भूमिका को संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों के संदर्भ में मान्यता दी जाए। कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि वर्तमान में ऐसा कोई वैधानिक तंत्र नहीं है जो गृहणियों के योगदान को मान्यता दे या उनके कार्य के मूल्य को निर्धारित करे।

- पत्नी घरेलू कामों के जरिए तमाम खर्चों को बचाती है
- गृहणियों के काम को संपत्ति के अधिकारों के रूप में मान्यता की जरूरत
- हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान की इस तरह की टिप्पणी की। याचिका में महिला ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पति की संपत्ति में से उसे 50 प्रतिशत स्वामित्व की मांग को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए यह भी स्पष्ट किया कि केवल वैवाहिक आधार पर घर में पत्नी के रहने से उसे पति के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर स्वामित्व का अखंडनीय अधिकार नहीं मिल जाता। घर बनाने और उसे चलाने में होममेकर के योगदान को अहम मानते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि घर, परिवार और बच्चों की देखभाल में होममेकर के योगदान को मान्यता देने का वर्तमान में कोई वैधानिक आधार नहीं है। यह योगदान अक्सर छिपा रहता है और उसे कम करके आंका जाता है। उनके योगदान को मान्यता देने पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे उनके मालिकाना अधिकारों का फैसला लेने में मदद मिलेगी और ऐसे योगदानों का मूल्य तय किया जा सकेगा।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बैंच ने अपने फैसले में कहा कि शायद समय के साथ विधायिका यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि होममेकर के योगदान सार्थक रूप से नजर आएं और इनके आधार पर मालिकाना दावों के संबंध में होममेकर के अधिकारों को तय करने के लिए भी इसी आधार पर काम किया जा सके।

कोर्ट ने कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में बहुत से परिवारों में खासकर उन परिवारों में जहां घरेलू सहायक आदि के रूप में कोई मदद नहीं है वहां फुल टाइम होममेकर की मौजूदगी परिवार को तमाम तरह के दूसरे खर्चों से बचाती है जो घर और परिवार के रखरखाव के लिए उठाने पड़ते हैं। इस बचत में नियमित आधार पर बढ़ोतरी के जरिए बड़ी संख्या में पैसा जमा होने के साथ-साथ परिवारों को घर संपत्ति खरीदने जैसे कामों में मदद भी मिलती भी है। महिला की अपील का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि शादी पति एवं पत्नी दोनों की कोशिशों से बना एक संयुक्त उद्यम है जिनका योगदान चाहे वित्तीय, भावनात्मक या घरेलू हो परिवार की स्थिरता एवं बेहतरी के लिए अभिन्न है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ससुराल में पत्नी का रहना मात्र अपने आप में उसे पति के नाम पर मौजूदा संपत्तियों पर मालिक होने का अपराजेय अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है इसके लिए उसे ठोस प्रमाण और घरेलू योगदान को स्थापित करना जरूरी है।

इलाज करने पर भी मरीज का ठीक न होना डॉक्टर की लापरवाही नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर को राहत देते हुए कहा कि यदि इलाज के बाद कोई मरीज ठीक नहीं होता है तो हर बार डॉक्टर को लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। डॉक्टर पर बच्चे के जन्म के बाद महिला की मौत का आरोप था। जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि इलाज के दौरान सर्जरी सफल नहीं होती या मनचाहा परिणाम नहीं निकला, इसलिए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

कोर्ट ने मार्टिन एफ. डिसूजा बनाम मोहम्मद इश्फाक मामले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी समझदार पेशेवर डॉक्टर जानबूझकर ऐसा कार्य या चूक नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप किसी मरीज को नुकसान या चोट पहुंचे, क्योंकि उस पेशेवर की प्रतिष्ठा दांव पर होगी और एक भी चूक होने पर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

> **कोई भी समझदार पेशेवर डॉक्टर जानबूझकर ऐसा कार्य या चूक नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप किसी मरीज को नुकसान या चोट पहुंचे, क्योंकि उस पेशेवर की प्रतिष्ठा दांव पर होगी और एक भी चूक होने पर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।**
>
> **-सुप्रीम कोर्ट**

पूरी कोशिश के बाद भी इलाज हो सकता है विफल

कोर्ट ने यह भी कहा कि कभी-कभी, पूरी कोशिश करने के बाद भी, डॉक्टर का इलाज विफल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर दोषी है। जब तक कि यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत न हो कि डॉक्टर ने लापरवाही की है।

कोर्ट ने माना कि मेडिकल पेशे में कुछ हद तक व्यवसायीकरण हो गया है। कुछ डॉक्टर पैसे कमाने के लिए अपनी शपथ से भटक जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे मेडिकल समुदाय को भ्रष्ट या अक्षम माना जाए।

कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश को किया रद्द

कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें डॉक्टर और अस्पताल को लापरवाही का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में यह कहा गया था कि नर्सिंग होम डिलीवरी के दौरान आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपर्याप्त और खराब तरीके में था। यह भी कहा गया कि अस्पताल में इसके लिए कोई सुविधा नहीं थी लेकिन इस बात का कोई आरोप नहीं था कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ/स्त्री रोग विशेषज्ञ की प्रसवपूर्व देखभाल और प्रबंधन में कोई कमी थी।

नजीर

जूते के सोल का मामूली सा मामला 11 साल बाद आया फैसला, बना नजीर

ग्राहक को 600 रुपए के जूते के बदले मूल कीमत के अलावा वार्षिक ब्याज दर 6 प्रतिशत, ग्राहक को हुए शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए 1000 रुपए और अपील में खर्च हुए 1000 रुपए की राशि सहित कुल 3040 रुपए का भुगतान करने का आदेश।

कहते हैं कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" यानी न्याय में देरी अन्याय के समान है। यह सच है, लेकिन कुछ केस देरी के बाद भी एक नजीर पेश करते हैं। ऐसा ही एक केस मध्यप्रदेश के राज्य उपभोक्ता फोरम का है, यहां एक 11 वर्ष पुराने मामले में अब फैसला आया है। दरअसल वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक युवक ने फुटवेयर की दुकान से 600 रुपए के जूते खरीदे। लेकिन 2 दिन बाद ही जूते का सोल निकलकर अलग हो गया। जब युवक जूता बदलने के लिए दुकान में पहुंचा तो दुकानदार ने जूता बदलने से इंकार कर दिया और युवक के साथ बदतमीजी की। इसके बाद युवक ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत की। दो माह तक चले प्रकरण में युवक को मामूली मुआवजा दिया गया, जिससे युवक संतुष्ट नहीं हुआ। उसने राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल में इस मामले की शिकायत की। राज्य उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2024 तक केस चला। 11 वर्ष तक अपने हक व अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार युवक को इंसाफ मिला। राज्य उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को आदेश दिया है कि ग्राहक को 600 रुपए के जूते के बदले मूल कीमत के अलावा वार्षिक ब्याज दर 6 प्रतिशत, ग्राहक को हुए शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए 1000 रुपए और अपील में खर्च हुए 1000 रुपए की राशि सहित कुल 3040 रुपए का भुगतान करे। हालांकि यह राशि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने साल बाद भी फैसला उस व्यक्ति के पक्ष में आया और आगे आने वाले बहुत से उपभोक्ता वादों में नजीर की तरह से पेश किया जाएगा।

–लेखक कानूनी मामलों के जानकार हैं

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

बीमित राशि की शर्तें हो या वारंटी की शर्त पढ़ें जरूर

शिकायत कहां करनी है, यह पता होना भी जरूरी

ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के शिकायत है क़ॉलम में उन उपभोक्ता शिकायतों का संकलन किया जाता है जो सामने आईं उनके समाधान का प्रयास किया गया और उनका निराकरण भी हुआ।

आंधी में कार पर पेड़ गिरा, बीमा कंपनी को देनी पड़ी बीमित राशि

राहुल सिंह, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वे शहर के एक पॉश सेक्टर में रहते हैं। तेज आंधी के कारण एक पेड़ उनकी नई कार पर आ गिरा। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी के कर्मचारी ने मुवायना किया और कंपनी बीमा कंपनी ने यह कर क्लेम देने से इनकार कर दिया कि यह एक्ट ऑफ गॉड है और ऐसे हालात पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। मामला उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज कराया गया और साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की गई। लेकिन उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद ही बीमा कंपनी की तरफ से राहुल से संपर्क साधा गया। काफी गहमागहमी के बाद बीमा कंपनी आंशिक भुगतान के लिए तैयार हुई। लेकिन राहुल इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने मामले को आगे ले जाते हुए उपभोक्ता हेल्पलाइन पर रिमांडर के साथ बीमा कपनी को कानूनी नोटिस भेज दिया। आखिरकार बीमा कंपनी ने पूरी बीमित राशि का भुगतान किया। दरअसल, राहुल सिंह ने बीमा शर्तों का पूरी तरह से अध्ययन किया और यह पाया कि किसी भी तरह के हादसे को बीमित राशि में कवर किया गया था। और इसी नियम के तहत राहुल को अपनी कार का बीमा क्लेम मिल सका।

ऑनलाइन मोबाइल खरीदा, कंपनी ने टरकाया, देना पड़ा दूसरा मोबाइल

सबसे पहले शिकायत दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार की। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से नया मोबाइल फोन खरीदा। विज्ञापन में यह दावा किया गया था कि फोन में 5000 mAh की बैटरी, 128 GB मेमोरी और एक साल की वारंटी दी जाएगी। राजेश कुमार ने यह सब देखते हुए फोन खरीद लिया। फोन शुरुआती कुछ दिनों तक तो ठीक चला, लेकिन एक महीने बाद ही उसमें बार-बार बैटरी की समस्या आने लगी। चार्ज करने के बाद भी फोन जल्दी बंद हो जाता था। राजेश ने ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क किया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही समस्या का कोई समाधान हुआ। परेशान होकर राजेश ने इस मामले की शिकायत करने की ठानी। उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के नंबर 1800-11-4000 पर कॉल किया और अपनी समस्या दर्ज करवाई। उन्हें एक शिकायत संख्या दी गई और बताया गया कि उनकी शिकायत कंपनी को भेजी जाएगी। कुछ ही दिनों में कंपनी के प्रतिनिधि ने राजेश से संपर्क किया। कंपनी ने जांच के बाद यह स्वीकार किया गया कि फोन की बैटरी में निर्माण संबंधी दोष है। कंपनी ने राजेश से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए उन्हें नया फोन उपलब्ध कराया। राजेश एक जागरूक उपभोक्ता हैं इसलिए उनकी समस्या का समाधान हो पाया।

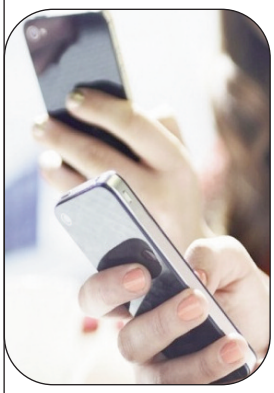

शिकायत

- उत्पाद ख़रीद की शर्तों को जरूर पढ़ें
- वारंटी की अवधि और शर्त भी देखें
- बीमा ले रहे हैं तो पॉलिसी की शर्तों को देखें
- ऑनलाइन खरीदारी पर खास सतर्कता बरतें
- अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर

बैंक ने शुल्क के नाम पर पैसा काटा कटौती गलत थी, पैसा वापस

रीना शर्मा, लखनऊ की रहने वाली हैं। उनके खाते से बैंक ने बिना सूचना के एटीएम कार्ड के वार्षिक शुल्क के नाम पर 1,200 रुपए काट लिए। रीना को यह बात तब पता चली जब उन्होंने अपना मिनी स्टेटमेंट निकाला। रीना ने पहले बैंक शाखा से संपर्क किया, लेकिन वहां कहा गया कि यह नियमित शुल्क है। असंतुष्ट होकर रीना ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। रीना की शिकायत बैंक भेजी गई। जांच में पाया गया कि उनका खाता जीरो बैलेंस पर खोला गया था और नियमित शुल्क जैसी कोई शर्त उन पर लागू नहीं होती थी। बैंक ने रीना को उनका पैसा वापस दिया और साथ ही माफी भी मांगी। यहां ध्यान देने की बात यह है कि रीना को अपने खाते से संबंधित बैंक की शर्तों की जानकारी थी इसलिए उनके मामले की शिकायत और समाधान आसानी से हो सका। उपभोक्ता हमेशा अपने बैंक खाते की सेवा शर्तों का ध्यान रखें और बैंक की तरफ से अगर कोई ऐसी कटौती की जाती है तो उसकी तत्काल शिकायत करें।

बेकार उत्पाद की डिलीवरी कंपनी को वापस देना पड़ा पैसा

मुकेश यादव जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से 3,500 रुपए का ब्रांडेड स्पोर्ट्स शू ऑर्डर किया। लेकिन डिलीवरी पर उन्हें नकली और घटिया गुणवत्ता का जूता मिला। उन्होंने कस्टमर केयर से संपर्क किया, पर बार-बार रिटर्न रिजेक्ट कर दिया गया। मुकेश ने अपनी शिकायत 14404 उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवाई।

मुकेश की शिकायत कंपनी तक भेजी गई। कंपनी ने मुकेश को न केवल पैसे वापस किए बल्कि हर्जाने के तौर पर उन्हें 500 रुपए के बाउचर भी दिए। जाहिर है इस मामले में उपभोक्ता हेल्पलाइन का कंपनी पर काफी दबाव रहा होगा तभी मुकेश की समस्या को कंपनी ने सुना और उनका पैसा वापस किया। साथ ही मुकेश को इस बात की समझ थी कि ऐसे मालों की शिकायत कहां और कैसे की जा सकती है।

बीमा कंपनी का मेडिकल क्लेम से इनकार, देना पड़ा ब्याज समेत क्लेम

सुरेश वर्मा, भोपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। अस्पताल में इलाज कराने के बाद उन्होंने 80,000 रुपए का मेडिकल क्लेम लगाया। बीमा कंपनी ने यह कहकर क्लेम अस्वीकार कर दिया कि बीमारी पॉलिसी में शामिल नहीं है। सुरेश ने पॉलिसी की कॉपी ध्यान से पढ़ी, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि यह बीमारी कवरेज के अंदर आती है। उन्होंने तुरंत उपभोक्ता हेल्पलाइन और बीमा लोकपाल के यहां शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पाया गया कि बीमा कंपनी ने गलत आधार पर क्लेम अस्वीकार किया था। सुरेश को पूरी क्लेम राशि के साथ 9 प्रतिशत ब्याज भी दिया गया।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

तत्काल टिकट के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन

भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यह नियम लागू हो चुका है। हालांकि, साधारण जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की पहचान या आधार कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रक्रिया के तहत यात्रियों को अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना होगा, तभी टिकट बुक होगा। यह कदम फर्जी बुकिंग और दलालों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।

सहारा में पैसा फंसाने वालों के लिए काम की खबर

SAHARA INDIA PARIWAR

सहारा की योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दी जिसमें सेबी-सहारा रिफंड खाते में रखी राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने दिसंबर, 2023 में आवंटित 5,000 करोड़ रुपये के वितरण की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 कर दिया है।

20 साल पुरानी कार तो नया झंझट

अगर आपके पास 20 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो आपको इसके फिटनेस टेस्ट के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। सरकार ने पुरानी गाड़ियों के नवीनीकरण शुल्क बढ़ाने के कुछ हफ्ते बाद ही एक और बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस टेस्ट की फीस में भारी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। अब अगर आपके पास 20 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो आपको इसके लिए 2,600 रुपये देने होंगे। वहीं ट्रक और बसों के लिए यह फीस 25,000 रुपये होगी। सरकार पुरानी गाड़ियों से पिंड छुड़ाना चाहती है। इसके लिए 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी फिटनेस टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।

विविध

यूपीआई से 10 लाख रुपए तक रोजाना भुगतान

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बड़े लेनदेन की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ा दी है। नए नियम के तहत वेरिफाइड मर्चेंट्स के लिए एक दिन में 10 लाख रुपए तक का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। यह बदलाव कुछ खास ऑनलाइन भुगतान जैसे शेयर बाजार में निवेश, बीमा पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आदि के लिए लागू होगा। हालांकि, दो लोगों के बीच यानी पर्सन-टू-पर्सन लेनदेन की सीमा पहले की तरह ही 1 लाख रुपए प्रतिदिन रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन नए नियमों को लाने का मकसद लोगों को बड़े भुगतान के लिए बार-बार लेनदेन करने के झंझट से मुक्ति दिलाना है।

ट्रैफिक चालानों पर दिल्ली सरकार की एकमुश्त माफी योजना

इस योजना के तहत बकाया ट्रैफिक चालानों पर 50 से 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह कदम लाखों गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इस योजना के अगले कुछ महीनों में लागू होने की उम्मीद है। योजना का मकसद पुराने बकाया चालानों को खत्म करना और अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करना है। अधिकारियों का कहना है कि चालान भरने के लिए लोगों को 2 से 3 महीने का समय दिया जा सकता है। यह दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया मालिकों के लिए एक बार मिलने वाला मौका होगा।

एयरटेल की धोखाधड़ी विरोधी मुहिम से ग्राहकों को राहत

भारती एयरटेल द्वारा शुरू की गई एंटी-फ्रॉड पहलों के चलते साइबर अपराध की शिकायतों में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। इस दावे की पुष्टि हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) के भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई 4 सी) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से भी हुई है। गृह मंत्रालय-आई 4 सी के अनुसार, एयरटेल नेटवर्क पर वित्तीय नुकसान के मूल्य में 68.7 प्रतिशत की भारी गिरावट और कुल साइबर अपराध मामलों में 14.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय-आई4सी द्वारा किए गए विश्लेषण में सितंबर 2024 (जब एयरटेल का फ्रॉड और स्पैम डिटेक्शन समाधान लॉच नहीं हुआ था) और जून 2025 के बीच साइबर अपराध से जुड़े प्रमुख संकेतकों की तुलना की गई है। भारती एयरटेल के वाइस चेयरमैन व प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल के मुताबिक हमारा मिशन अपने ग्राहकों को स्पैम और वित्तीय धोखाधड़ी से पूरी तरह मुक्त करना है।

नए उत्पाद

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

हीरो की किफायती मोटरसाइकिल

हीरो कंपनी भारत में अपनी नई बाइक लॉन्च कर सकती है जिसमें क्रूज कंट्रोल जैसे कार वाले फीचर्स होने की उम्मीद है। यह भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक बाइक हो सकती है। स्प्लेंडर जैसी पॉपुलर बाइक बनाने वाली इस कंपनी ने एक नई बाइक का टीजर जारी किया है, जिसके बारे में दावा है कि यह भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक 125cc बाइक होगी। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यह 2025 में आने वाली ग्लैमर 125 हो सकती है, जिसमें क्रूज़ कंट्रोल जैसा शानदार फीचर दिया जा सकता है।

लॉन्च हुईं कई नई कारें

जून 2025 में भारत के कार बाजार में कई नई गाड़ियां उतारी गईं, जिसमें टाटा हैरियर ईवी का बाजार में आना शामिल था। मारुति ग्रैंड विटारा सीएनजी भी लाइनअप में शामिल हुई जिससे एसयूवी के इंजन ऑप्शन का विस्तार हुआ। लग्जरी सेगमेंट में नए लॉन्च में मर्सिडीज-एएमजी जीटी 63 और जीटी 63 प्रो के साथ ऑडी क्यू7 सिग्नेचर एडिशन शामिल रहा। मारुति ने 2025 ग्रैंड विटारा का सीएनजी विकल्प फिर से पेश किया है। अब इसके मिड वेरिएंट डेल्टा और जेटा में सीएनजी किट उपलब्ध है।

हुंडई की 26 नई कारें

भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में जबरदस्त कॉम्पिटिशन के बीच हुंडई ने अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए बड़ा दांव खेला है। कंपनी साल 2030 तक भारत में 26 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इनमें नई कारें, फेसलिफ्ट वर्जन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होंगी। ऐसे में हुंडई अब न केवल भारत की घरेलू डिमांड को पूरा करना चाहती है, बल्कि इसे दक्षिण कोरिया के बाद अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब भी बनाना चाहती है।

कृषि फीडर से सस्ती बिजली

बिहार सरकार की ओर से भी किसानों को सस्ती बिजली देने का प्लान बनाया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति और सस्ती बिजली देने के लिए 2274 कृषि फीडर तैयार किए जा चुके हैं। राज्य में 2274 कृषि फीडर तैयार हैं। इनका उपयोग ना केवल खेतों की सिंचाई के लिए होगा बल्कि कृषि उत्पाद को संरक्षित रखने वाले कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए भी आठों पहर सस्ते में बिजली उपलब्ध कराने में किया जाएगा।

नए उत्पाद

मीवी के नए एआई बड्स

इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड मीवी ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट, मीवी एआई बड्स को पेश किया है। ये प्रोडक्ट इमर्सिव ऑडियो को इंटेलिजेंट एआई प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ता है। भारत में विकसित ये एआई बड्स स्क्रीन-फ्री कन्वर्सेशनल एक्सपीरिएंस ऑफर करते हैं, जो यूजर्स के टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के तरीके को बदल देता है। मीवी एआई बड्स को ऐसा बनाया गया है कि ये कोई बोरिंग एआई नहीं, बल्कि दोस्त की तरह महसूस कराते हैं। बस ' हाई मीवी ' बोलकर आप बड्स से ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक कमांड्स के लिए नहीं है। ये बड्स 8 इंडियन लैंग्वेज समझते हैं जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगू, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम और गुजराती शामिल हैं।

मारुति के 4 हाइब्रिड मॉडल

मारुति सुजुकी हाइब्रिड कारों पर खास जोर देते हुए आने वाले समय में भारतीय बाजार में अपने नई पॉपुलर मॉडल को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प में पेश कर सकती हैं, जिनमें ब्रेजा और फ्रॉन्क्स के साथ ही बलेनो और स्विफ्ट जैसे मॉडल होंगे और इनकी माइलेज 35 किलोमीटर प्रतिघंटा तक हो सकती है। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियों की हाइब्रिड गाड़ियों की अच्छी डिमांड से पता चल रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले इसे बेहतर विकल्प समझ रहे हैं। मारुति सुजुकी की योजना है कि साल 2030 तक कुल कार सेल का 25 पर्सेंट हाइब्रिड मॉडल हो।

येजदी की रोडस्टर बाइक

येजदी रोस्टर देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माताओं की ओर से भारतीय बाजार में नई रोडस्टर बाइक को पेश किया गया है। बाजार की मांग को देखते हुए निर्माता की ओर से इस बाइक में बहुत से नए फीचर्स दिए गए हैं। भारत के प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माताओं में शामिल येजदी की ओर से कई तरह की बाइक्स को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से 2025 येजदी रोडस्टर बाइक में कई तरह की खासियत दी गई हैं। दमदार इंजन और ढेरों फीचर्स के साथ इसे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

एप्पल के 15 नए डिवाइस की तैयारी

एप्पल कई प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। बजट आईफोन, 16 ई, आईपेड एअर और मैकबुक एअर रिफ्रेश जैसे कुछ प्रोडक्ट पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। बहुत जल्द उम्मीद हैं कि एप्पल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करेगा। इसके साथ ही ज्यादा शक्तिशाली एप्पल सिलिकॉन वाले नए मैकबुक प्रो मॉडल आने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एप्पल अपनी अगली आईफोन सीरीज में थोड़ा फेरबदल करने पर काम कर रहा है। स्टैंडर्ड आईफोन 17, फ्लैगशिप आईफोन, 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ, ऐप्पल एक नया आईफोन 17 एयर मॉडल लॉन्च करने के भी कयास है।

Elevate Your Public Image

Amplifying Your Brand's Voice

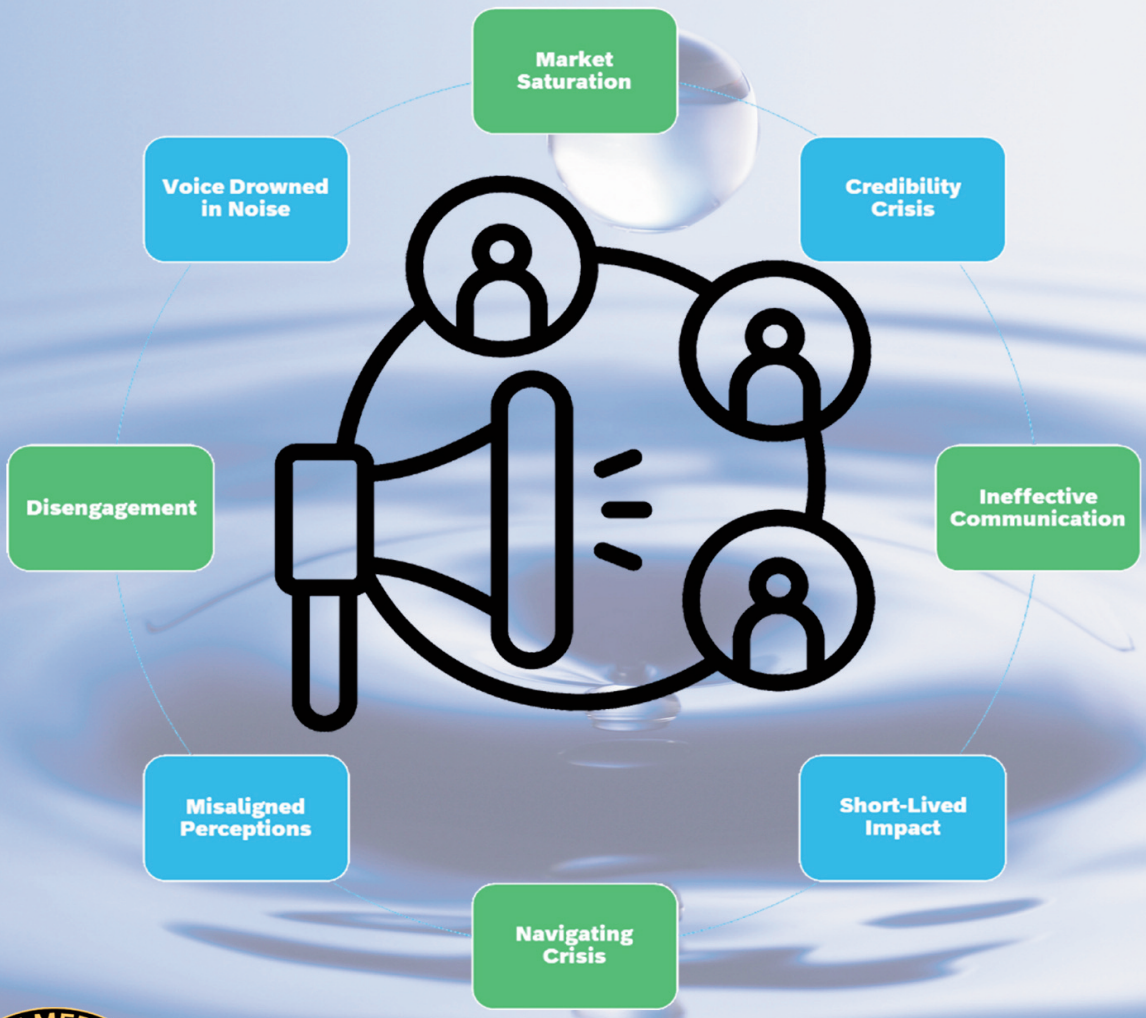

Pratidhwani Media Initiative Pvt. Ltd.

Contact Information

Email: pratidhwanimediainitiative@gmail.com
Website: www.pratidhwanimedia.com
Address: 101, Shahpuri Tower, C-58, Community Center, Janakpuri, New Delhi - 110058

Atulyam

Atulyam Multi State Multi Purpose Cooperative Society

Multi-State Cooperative Society Registered with Registrar of Multi State Cooperative Societies under Multistate Co-operative Societies Act, 2002 (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, GoI)

CONTACT US

Head Office

101, Shahpuri Tower
C - 58, Community Centre
Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone No. - 011-45733115/ 9810085115
Email: atulyam.mscs@gmail.com
www.atulyam.org

Regional Office (Bihar)

Uphrail Chauk,
Ward No. -10, Bypass
Purnea, Bihar –854315